कौशल विकास एवं

औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय, हरियाणा

विवरण-पत्रिका

दाखिला सत्र
2025-26

आनॅलाईन दाखिला फार्म भरने की अवधिः

06.06.2025 से 20.06.2025

ऑनलाईन दाखिला फार्म भरने के लिए वैबसाईट पर जांएः

दाखिला वैबसाईटः-https://admissions.itiharyana.gov.in

विभागीय वैबसाईटः-www.itiharyana.gov.in

निदेशक, कौशल विकास एवंऔद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय, हरियाणा

प्लॉटनं०आई०पी० 2, सैक्टर-3, नजदीक माजरी चौंक, पंचकुला।

प्रार्थी आनॅलाईन दाखिला फार्म भरते समय निम्नलिखित दस्तावेज (जो लागू हो) अपने पास तैयार रखें।

क्र0 सं0	प्रमाण/दस्तावेज	उद्देश्य
1	अपना निजी मोबाईल नं0 आधार कार्ड नंबर एवं ई–मेल आई0डी0	दाखिले के लिए अनिवार्य।
2	परिवार पहचान पत्र (P.P.P.)	दाखिले के लिए अनिवार्य।
3	शैक्षिणक योग्यता (8 वीं/10वीं/12वीं) के प्रमाण–पत्र	योग्यता एंव आयु निर्धारण हेतु।
4	जाति प्रमाण–पत्र SC/Deprived SC/BC-A/BC-B/Divyag/E.W.S. (out of General category)/ExServicean (ESM) etc.	आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतू।
5	यदि 8 वीं/10वीं/12वीं में आपके प्राप्तांक CGPA में है तो प्राप्त अंकों की गणना प्रतिशत में करके रखें।	मैरिट में सही स्थान प्राप्त करने हेतू।
6	अपना नवीनतम् फोटो।	फार्म में अपलोड करने हेतू।
7	हरियाणा स्थाई निवासी प्रमाण– पत्र/डोमोसाईल	हरियाणा कोटे में आरक्षण हेतू।
8	PayTm/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नैट बैंकिग/गूगल पे इत्यादि की सुविधा।	आनॅलाईन कांउसलिंग फीस (50 रू एस0सी0, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा 100 रू अन्य वर्ग के प्रार्थियों के लिए) एंव दाखिला फीस जमा करवाने हेतू।
9	पिताविहीन/अनाथ/विधवा/विधवाकी संतान का प्रमाण–पत्र	मैरिट के अतिरिक्त अकं हेतू।
10	संस्थानों की सूची जहां आप दाखिला लेना चाहते हो।	संस्थानों की जानकारी एंव चयन हेतू।
11	व्यवसायों की सूची (प्राथमिकता के आधार पर घटते क्रम में)।	व्यवसायों की जानकारी एंव चयन हेतू।
12	अपना बैंक खाता नं0 IFSC कोड इत्यादि।	दाखिले उपरांत स्कोलरशिप आवेदन हेतू।
13	ऑनलाईन दाखिला आवेदन पत्र में उम्मीदवार अपनी योग्यता अनुसार व्यवसाय/संस्थान के अधिकतम 15 विकल्प भर सकते है। उम्मीदवार केवल वही विकल्प भरें जिनमें दाखिला लेना है क्योकि सीट आंबटित होने उपरांत यदि छात्र/छात्रा ने दाखिला नही लिया तो उसे आगामी दाखिला कांउसलिंग प्रकिया में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। यद्यपि यदि वह भाग लेना चाहता तो छात्र को 500 रू जुर्माना राशि भरनी होगी।	

- दाखिला फार्म भरने से पहले अपनी फोटो व दस्तावेजों को कम्प्यूटर में स्कैन करके रखें ताकि बिना विलंब अपलोड किए जा सके।
- प्रार्थी की फोटो का साईज 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए।
- इच्छुक उम्मीदवार उपरोक्त दस्तावेजों का प्रबंध करने उपरांत विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध नमूना दाखिला फार्म को अभ्यास के लिए अवश्य भर कर देखें।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना

1. **परिचयः**

औद्योगिक इकाईयों की निरन्तर बढ़ोतरी के कारण विभिन्न उद्योगों में निपुण कारीगरों की मांग निरन्तर बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने तथा देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा युवक–युवतियों को कौशल/शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि औद्योगिक इकाईयों हेतु कुशल कारीगर उपलब्ध हों व प्रशिक्षण उपरान्त युवक–युवतियाँ अपना स्वरोजगार स्थापित करने के योग्य भी बनें। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (सह–शिक्षा), राजकीय (महिला) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त सैनिक परिवार भवन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा मूक एवं बधिर कल्याण केन्द्र, गुरूग्राम के माध्यम से कौशल/शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की व्यवस्था हैः

हरियाणा राज्य मे स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एक दृष्टि में	
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सह–शिक्षा संस्थान)	154
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (केवल महिलाओं के लिए)	36
राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त सैनिक परिवार भवन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	07
निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सह–शिक्षा संस्थान)	198
निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केवल (महिलाओं के लिए)	02
कुल राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	397
संस्थानों में संचालित कुल व्यवसाय जिनमें सत्र 2025–26 में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है	93
सत्र 2025–26 में दाखिले हेतु संस्थान–वार/व्यवसाय–वार उपलब्ध सीटो का विवरण	दाखिला पोर्टल पर देखें।

विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैः–

(क) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना

(ख) शिक्षुता प्रशिक्षण योजना

1.1 शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (Craftsman Training Scheme)

उद्देश्य :

(क) विभिन्न व्यवसायों में उपयोगी एंव कुशल कारीगर उपलब्ध करवाना।

(ख) कारीगरों को उच्च श्रेणी का प्रशिक्षण प्रदान कर औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकता के स्तर को उंचा उठाना।

(ग) स्व–रोजगार के योग्य बनाना।

1.2 शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (Apprenticeship Training Scheme)

इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक आई0टी0आई उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतिष्ठानों के भिन्न–भिन्न व्यवसायों में व्यावहारिक प्रशिक्षण सुविधाएं देने से है ताकि वे कार्य में उच्च दक्षता हासिल कर सकें। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उतीर्ण छात्र–छात्राओं को इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है तथा आई0टी0आई से प्रशिक्षण पूर्ण करने उपरांत प्राईवेट/सरकारी प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिस लगने का अवसर प्रदान किया जाता है। देश में शिक्षुता अधिनियम 1961 लागू हुआ जिसके अन्तर्गत सभी प्रतिष्ठानों के नियोक्ता के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर अनुसार प्रत्येक नामांकित व्यवसाय में शिक्षु लगाना कानूनी दायित्व है। वर्तमान में शिक्षुओं के लिए निर्धारित न्यूनतम देय वजीफे की संशोधित दरें दिनांक 25 सितम्बर 2019 से निम्न प्रकार से लागू हैः–

क्रं0	श्रेणी	न्यूनतम वजीफे (stipend) की निर्धारित राशि
1	एक वर्षीय आई0टी0आई पास आउटस	रू0 7,700 प्रति माह
2	दो वर्षीय आई0टी0आई पास आउटस	रू0 8,050 प्रति माह

1.2.1 **अप्रैटिंसशिप/रोजगार मेला**

DGT भारत सरकार के पत्र क्रमांक MSDE-1(2)/2023-AP (PMU) दिनांक 19.02.2024 के अनुसार आई0टी0आई0 पास करने उपरांत Designated trades में National Apprenticeship Certificate वाले उम्मीदवार के अप्रैटिसंशिप ट्रैंनिग अवधि को केन्द्रीय/राज्य विभागों/प्रतिष्ठानों के अर्न्तगत रोजगार के लिए कार्य अनुभव के रूप में माना जा सकता है। अप्रैटिसंशिप एवं रोजगार मेलों का आयोजन हर संस्थान में समय–समय पर करवाया जाता है।

1.2.1 (क) उद्यमी अवार्ड

प्रति वर्ष आई0टी0आई0 पास शुद्रा छात्र/छात्राओं को स्वंय रोजगार स्थापित करने पर जिला स्तर पर हरियाणा उद्यमी अवार्ड द्वारा प्रथम स्थान पर 10000 रू दितीय स्थान पर 7500 रू तथा तृतीय स्थान पर 5000 रू छात्र/छात्राओं को देकर प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वय रोजगार स्थापित कर जिला अवार्ड प्राप्त उम्मद्वारों में से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार को राज्य स्तर पर हरियाणा उद्यमी अवार्ड का प्रथम स्थान पर 50000 रू दितीय स्थान पर 40000 रू तथा तृतीय स्थान पर 30000 रू की राशि विश्व कौशल विकास दिवस के अवसर पर देकर प्रोत्साहित किया जाता है।

1.2.2 **अग्निपथ योजना**

यह केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय सेना मे अल्पकालिक नियुक्ति के लिए 14 जून, 2022 को शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें चयनित पुरूष उम्मीदवारों को बतौर अग्निवीर चार साल की अवधि के लिए भारतीय सेना के तीनो प्रभाग (थलसेना, वायुसेना, जलसेना) में सेवा करने का अवसर मिलता है। चार साल की कार्यअवधि में अग्निवीर को पहले साल 30,000 रूपयें, दूसरे साल 33,000 रूपये, तीसरे साल में 36,500 रूपयें और चौथे साल 40,000 रूपयें मासिक वेतन मिलेगा। अग्निपथ पात्रता मानदंड के अनुसार अग्निपथ भर्ती योजना हेतू आवेदन देने वाले युवाओं की आयु सीमा न्यूनतम 17 साल 6 महीनें और अधिकतम 21 साल निर्धारित की गई है। अग्निपथ योजना में चयन हेतु मेरिट में आई0टी0आई उतीर्ण पुरूष उम्मीदवारो को निम्नानुसार अतिरिक्त 20/30/40 अंक देकर वरीयता दी जाएगी :–

- 10वीं + 2 वर्षीय आई0टी0आई कोर्स को 20 अंक।
- 12वी + 1 वर्षीय आई0टी0आई कोर्स को 30 अंक।
- 12वीं + 2 वर्षीय आई0टी0आई कोर्स को 40 अंक।

2. **शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत दाखिलाः–**

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा द्वारा राज्य में स्थित सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2025–26 के दाखिले हेतु राज्य स्तरीय ऑनलाइन दाखिले की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विभिन्न व्यवसायों (ट्रेडों) में दाखिले हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारक युवक तथा युवतियां विभाग की वैबसाईट www.admissions.itiharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) में केवल युवतियां ही दाखिला ले सकती हैं तथा सह–शिक्षा संस्थानों की सभी व्यवसाय यूनिटों में युवतियो के लिए 30 प्रतिशत सीटे आरक्षित है। दाखिले के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से उत्तीर्ण की गई हो अथवा हरियाणा राज्य में स्थित बोर्ड/यूनिवर्सिटी से प्राप्त अथवा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के समकक्ष होनी अनिवार्य है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के समकक्ष अन्य राज्य के शिक्षा बोर्ड की सूची विभाग तथा बोर्ड की वैबसाईट पर उपलब्ध है।

2.1 **दाखिले हेतु योग्यताएंः–**

(i) शैक्षणिक योग्यता तथा पात्रताः– अभियान्त्रिकी (Engineering) एवं गैर अभियान्त्रिकी (Non-Engineering) व्यवसायों में दाखिले हेतू निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता Annexure–A के अनुसार होनी अनिवार्य है। यदि कोई प्रार्थी Annexure–A के अनुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूर्ण नहीं करता तो वह दाखिले का पात्र नहीं होगा।

(ii) पहले से ही पूर्णकालिक रूप से किसी संस्थान/प्रतिष्ठान में कार्यरत/नियुक्त प्रार्थी अपने नियोक्ताओं से अध्ययन अवकाश प्राप्त किए बिना दाखिले के पात्र नहीं होंगे। इसके लिए दाखिले के समय नियोक्ता द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा प्रार्थी का आवेदन/दाखिला रद्द कर दिया जायेगा, जिसके लिये वह स्वंय जिम्मेवार होगा।

(iii) प्रार्थियों को व्यवसाय विशेष जिसमें वह प्रशिक्षण ग्रहण करने के इच्छुक हैं, के लिये निर्धारित मापदण्डों अनुसार शारीरिक सक्षम होना अनिवार्य है। इस बारे व्यवसायवार सूची (indicating suitability to Differently abled persons) विभागीय वैबसाईट (www.admissions.itiharyana.gov.in) पर उपलब्ध है तथा दिव्यांग प्रार्थियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे इस दर्शाई गई सूची अनुसार ही अपने व्यवसाय का चयन करें।

(iv) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे व्यवसाय पूर्ण कालिक पाठ्यक्रम् हैं तथा छात्र प्रशिक्षण की कार्य अवधि में किसी अन्य विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान के नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययन नहीं कर सकता। यदि इस प्रकार की कोई अनियमितता पाई गई तो प्रार्थी का दाखिला रद्द कर दिया जायेगा।

(V) ऐसे व्यवसाय जिनमें दाखिले हेतू न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है, उन व्यवसायों में दसवीं पास उम्मीदवार यदि उपलब्ध हैं तो उन्हें दाखिला में वरीयता दी जायेगी। दसवीं पास उम्मीदवार उपलब्ध न होने की अवस्था में ही आठवीं पास उम्मीदवारों का दाखिला किया जायेगा।

2.2 **आयु**

व्यवसायों में दाखिले हेतु प्रार्थी की आयु 01..09.2025 को कम से कम 14 वर्ष होनी अनिवार्य है। आयु की ऊपरी सीमा मे पूर्णतया छूट है।

2.3 **दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली** (Dual System of Training)

इस प्रणाली के अन्तर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सहभागिता से औ0प्रशि0 संस्थानों में प्रशिक्षणरत् छात्र/छात्राओं को बेहतर व्यवहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम के अनुसार प्रैक्टिकल ट्रेनिंग संस्थान में न करवाते हुए Industry premises में करवाई जाती है। इस प्रकार दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम अनुसार केवल थ्यूरी भाग का अध्ययन संस्थान स्तर पर करवाया जाता है। प्रैक्टिकल ट्रैनिंग Industry premises में होने के कारण प्रशिक्षणरत छात्र–छात्राओं को अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान ही उद्योगों एवं आधुनिक मशीनरी पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो जाता है जो उन्हें भविष्य में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त करवाने में सहायक सिद्व हो सकता है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य की विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों से भिन्न–2 व्यवसायों में 'दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली' के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समझौते किए गए हैं। सत्र 2025–26 में इस प्रणाली के अन्तर्गत दाखिले के लिए उपलब्ध संस्थानवार व्यवसाय यूनिटों की सूची Annexure-'B' पर उपलब्ध है। इन व्यवसाय यूनिटों में दाखिला प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमे एक वर्षीय कोर्स के लिए 3–6 माह अवधि का तथा दो वर्षीय कोर्स के लिए 6 से 12 माह अवधि का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण औद्योगिक प्रतिष्ठान में प्रदान किया जाएगा व कोर्स का थ्यूरी पाठ्यक्रम संबंधित संस्थान में पढ़ाया जाएगा। दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के अन्तर्गत दाखिले हेतु प्रार्थी को आयु एवं शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी अनिवार्य हैः–

(i) Non Hazardous में उद्योगों से सम्बन्धित व्यवसायों में दाखिले हेतू प्रार्थी की न्यूनतम आयु 01.09.2025 को 14 वर्ष तथा Hazardous उद्योगों से सम्बन्धित व्यवसायों में दाखिले हेतू प्रार्थी की न्यूनतम आयु 01.09.2025 को 17 वर्ष 9 मास होनी चाहिए।

(ii) प्रार्थी शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए तथा On Job Training पर जाने से पहले वे संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान को मुख्य चिक्तिसा अधिकारी से जारी किया गया मूल मैडिकल प्रमाण–पत्र जिसमें कि Blood Pressure, Chest X-ray, B.M.I., Colour Blindness, Physical disability etc. की जांच की गई हो, प्रस्तुत करेंगे।

(iii) On the Job Training के लिए दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के अन्तर्गत दाखिला प्राप्त प्रार्थियों की सूझबूझ एवं मनोभाव का विशलेषण संबंधित प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है जिसके लिए प्रत्येक प्रार्थी से पारस्परिक विचार–विमर्श किया जाएगा। इस विचार–विमर्श के आधार पर ही किसी प्रार्थी को On the Job Training के लिए चुना जाएगा अथवा प्रार्थी को अयोग्य भी ठहराया जा सकता है।

(iv) विभाग द्वारा दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के तहत दाखिल एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रैक्टीकल प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे छात्र/छात्राओं के लिए दो लाख रुपये तक का स्वास्थ्य व दुर्घटना बीमा पालिसी का प्रावधान करवाया जाता है।

(v) यदि कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान सत्र के मध्य में दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभाग के साथ किये गये समझौते को समाप्त करता है, तो सम्बन्धित व्यवसाय को दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली से सामान्य प्रशिक्षण प्रणाली मे परिवर्तित करते हुए पाठ्यक्रम अनुसार थ्यूरी भाग के अध्ययन के साथ–साथ प्रैक्टीकल कार्य भी सम्बन्धित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में करवाया जाएगा ताकि छात्र/छात्राओं का प्रशिक्षण प्रभावित न हो।

2.4 उच्च शिक्षा के अवसर

हरियाणा राज्य में आई. टी. आई. पास छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा के लिए सुअवसर उपलब्ध है। इस विषय में तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा जारी की गई अधिसूचना नं0 38/9/06–2 टी0ई0 दिनांक 24 फरवरी 2006 के अनुसार आई.टी.आई. पास छात्र/छात्राएं बहुतकनीकी संस्थानों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में लेटरल एंटरी (Lateral Entry) के तहत सीधे द्वितीय वर्ष में दाखिला ले सकते हैं, जिसके लिये विस्तृत हिदायतें तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा से प्राप्त की जा सकती हैं।

2.5 शैक्षणिक समकक्षता

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा जारी पत्र क्र0 6998/ EW / A-III dated 28.02.2019 अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के एक तथा दो वर्षीय कोर्स को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी की सीनियर सैकेण्डरी एवं सैकेण्डरी कक्षाओं की समकक्षता निम्न शर्तों अनुसार प्रदान की हैः–

(i) दसवी के पश्चात दो वर्षीय कोर्स को 10+2 की हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में से कोई एक भाषा उत्तीर्ण करने उपरांत बोर्ड द्वारा संचालित 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्रदान कर दी गई है।

(ii) इसी प्रकार कक्षा दसवी के पश्चात एक वर्षीय कोर्स के आधार पर विभाग द्वारा एक वर्ष के शिक्षुता प्रमाण पत्र को शामिल करते हुए 10+2 की हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में से कोई एक भाषा उत्तीर्ण करने उपरांत बोर्ड द्वारा संचालित 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्रदान कर दी गई है।

(iii) कक्षा आठवीं के आधार पर प्रवेश उपरांत जिन कोर्सिज की समय अवधि दो वर्ष की है ऐसे कोर्सिज को भी बोर्ड द्वारा संचालित दसवीं (सैकेण्डरी) परीक्षा के समकक्ष मान्यता इस शर्त पर प्रदान की गई है कि परीक्षार्थियों द्वारा हिन्दी व अंग्रेजी (दोनों विषय) (सैकेण्डरी परीक्षा) भाषाओं की परीक्षा जिस वर्ष अतिरिक्त विषय के तौर पर उत्तीर्ण कर लेंगें।

(iv) कक्षा आठवीं के आधार पर प्रवेश उपरांत जिन कोर्सिज की समय अवधि एक वर्ष की है, कोर्स की समाप्ति उपरांत ऐसे प्रशिक्षुओं को एक वर्ष तक शिक्षुता प्रशिक्षण करवाया जाता है। ऐसे कोर्सिज को भी बोर्ड द्वारा संचालित दसवीं (सैकेण्डरी) परीक्षा के समकक्ष मान्यता इस शर्त पर प्रदान की गई है कि परीक्षार्थियों द्वारा हिन्दी व अंग्रेजी (दोनों विषय) (सैकेण्डरी परीक्षा) भाषाओं की परीक्षा जिस वर्ष अतिरिक्त विषय के तौर पर उत्तीर्ण कर लेंगें।

इसके निरंतर में मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा नोटिफिकेशन क्रमांक 17/20/2015–3 GS–II दिनांक 22.02.2021 द्वारा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चलाए जा रहे कोर्सिस की प्रवेश योग्यता के आधार पर सभी सरकारी विभागों/ बोर्डों/ निगमों/ विश्वविद्यालयो / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च शिक्षा और रोजगार के उद्देश्य से मैट्रिक/बाहरवीं की समकक्षता प्रदान की गई है।

उक्त वर्णित कोर्सिज को परीक्षार्थी द्वारा उत्तीर्ण करने एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा निर्धारित की गई शर्तें पूरा करने उपरांत ही बोर्ड की सीनियर सैकेण्डरी/सैकेण्डरी कक्षा के समकक्ष

मान्यता होगी। उपरोक्त बारे पूर्ण जानकारी हेतु विभागीय वैबसाईट पर सरकूलर सैक्शन में पत्र दिनांक 22 फरवरी 2021 देखें।

3. **दाखिला**

सभी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में केन्द्रीयकृत दाखिला राज्य स्तरीय सयुंक्त योग्यता सूची के आधार पर चार या अधिक ऑनलाईन दाखिला कांउसलिंग में किया जाएगा तथा दाखिला फार्म ऑनलाईन पोर्टल www.admissions.itiharyana.gov.in पर केवल एक ही बार भरा जाएगा। चार केन्द्रीयकृत दाखिला चरणों के पश्चात भी यदि संस्थानों में सीटें रिक्त रह जाती है तो नये आवेदन लेने बारे विचार किया जा सकता है।

पहली तीन ऑनलाईन दाखिला चरण केवल हरियाणा वासी प्रार्थियों के लिए है। चौथे ऑनलाईन दाखिले के लिए संयुक्त मैरिट सूची में अन्य राज्यों के प्रार्थियों द्वारा किए गए आवेदन भी शामिल किए जाएंगे। संयुक्त मैरिट सूची के आधार पर चार दाखिला कांउसलिंग अवसर प्रदान करने उपरान्त भी यदि संस्थानों में सीटें रिक्त रह जाती हैं तो इन रिक्त सीटों के प्रति दाखिला बारे सूचना दाखिला /विभाागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी।

नोटः विभाग द्वारा दाखिला प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पर किसी भी संस्थान में चल रहे व्यवसाय यूनिटों की संख्या व यूनिट की दाखिला क्षमता को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, किसी व्यवसाय को बंद एवं नया व्यवसाय भी चलाया जा सकता है। दाखिला प्रक्रिया के दौरान नये राजकीय एंव निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आरम्भ किये जा सकते हैं व कोई संस्थान बन्द भी किया जा सकता है। इस प्रकार की किसी भी सूचना के लिए दाखिला पोर्टल का नियमित अवलोकन करें।

3.1 **दाखिले हेतु योग्यता का निर्धारण**

3.1.1 जिन व्यवसायों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास है, उन व्यवसायों में दाखिले के लिए मैरिट आठवीं के कुल प्राप्त प्रतिशत अकों से ही निकाली जाएगी। जिन व्यवसायों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास है, उन व्यवसायों में दाखिले के लिए मैरिट दसवीं के कुल प्राप्त प्रतिशत अकों से ही निकाली जाएगी तथा जिन व्यवसायों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 है, उन व्यवसायों में दाखिले के लिए मैरिट 10+2 के कुल प्राप्त प्रतिशत अकों से ही निकाली जाएगी। दसवीं कक्षा की परीक्षा के प्राप्त अंक भरने के लिए केवल श्रेष्ठ 5 विषयों के कुल अंक/प्राप्त अंक का योगफल ही दाखिला आवेदन पत्र मे भरा जाए।

यदि प्रार्थी के बोर्ड द्वारा जारी की गई अंक तालिका में प्रार्थी के अंक CGPA में दिए गए हैं तो आवेदन–फार्म भरते समय CGPA को सम्बन्धित बोर्ड के CGPA to % age factor से गुणा करते हुए अंको का प्रतिशत निकाला जाएगा। प्रार्थी अपनी अंक तालिका से देखते हुए इस गुणक factor को आवेदन फार्म में भरेंगे। प्रार्थी को यह हिदायत दी जाती है कि वह अपने अंक तालिका या अपने बोर्ड की वैबसाईट से इस गुणक factor के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। यदि प्रार्थी द्वारा बिना किसी जांच पड़ताल के भरे गये गलत CGPA factor की वजह से मैरिट कम या ज्यादा बनती है तथा इस कारण प्रार्थी का दाखिला किसी भी स्तर पर रद्ध होता है तो उसके लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

नोटः– प्रार्थी को विशेष हिदायत दी जाती है कि वह फार्म भरने से पहले अपने प्राप्त अंको की प्रतिशतता भली–भांति जांच लें।

3.1.2 प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवम उधमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक MSDE (DGT)-19/01/2019 – CD दिनांक 13.12.2019 के अनुसार जिन व्यवसायों में दाखिले हेतु योग्यता विज्ञानं एवम गणित विषयों के साथ दसवीं पास है ऐसे व्यवसायों में दसवीं कक्षा की परीक्षा में 'विज्ञान व गणित विषय में अनुतीर्ण होने पर भी दाखिला दिया जाएगा बशर्ते की सम्बन्धित बोर्ड द्वारा 'दसवीं पास' का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ।

3.1.3 दाखिले के लिए तैयार की गई मैरिट सूची में अंको की समानता होने पर छात्र/छात्राओं को व्यवसाय की न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मे निम्नलिखित विषयों मे प्राप्त अकों के आधार पर मैरिट सूची में प्राथमिकता दी जायेगी :–

- प्रथम निर्णायकः– जिस प्रार्थी के गणित विषय में अधिक अंक है उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
- द्वितीय निर्णायकः–जिस प्रार्थी के विज्ञान विषय में अधिक अंक है उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
- तृतीय निर्णायकः–जिस प्रार्थी के अंग्रेजी विषय में अधिक अंक है उसे प्राथमिकता दी जाएगी।

3.1.4 इसके पश्चात भी कोई नतीजा प्राप्त न होने की स्थिति में ऐसे प्रार्थी को प्राथमिकता दी जायेगी जिसकी आयु अधिक हो।

3.1.5 उपरोक्त बिन्दु नं0 4 में भी समानता होने पर उस प्रार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हो।

3.1.6 उपरोक्त 3, 4 व 5 बिन्दुओं पर समानता होने पर ऐसे प्रार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी जिसके पिता का नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हो।

3.1.7 उपरोक्त 3, 4, 5 व 6 बिन्दुओं पर समानता होने की स्थिति में उस प्रार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी जिसकी माता का नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हो।

3.1.8 दसंवी पास की निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के व्यवसायों में आवेदन करने वाले 10+2 पास छात्र/छात्राओं को उच्च शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे जो निम्नअनुसार हैंः–

- 10+2 में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त प्रार्थियों को मैरिट में 5 अतिरिक्त अंक दिये जायेगें।
- 10+2 मे 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले प्रार्थियों को मैरिट में 3 अतिरिक्त अंक दिये जायेंगें।

3.1.9 जिन व्यवसायों में दाखिले हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 पास है, ऐसे व्यवसायों में प्रार्थियों को सिद्धांत रुप में मैरिट में उच्च शैक्षणिक योग्यता (स्नातक डिग्री) के 5 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।

3.1.10 दाखिले के लिए आवेदन करने वाली विधवा/विधवाओं के बच्चों को योग्यता सूची में 5 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।

नोटः यदि कोई प्रार्थी उक्त दोनों श्रेणीयों में अधिमान का पात्र बनता है तो उसे दोनों अधिमान प्रदान की जांएगी।

3.2.0 संस्थानों हेतु निःशुल्क भूमि प्रदान करने वाली पंचायतों को दाखिले में लाभः–

जिन वर्तमान ग्राम पचांयतों ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु भूमि सरकार को दान में दी है या सरकार की हिदायतों अनुसार एक रुपया प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से 33 वर्षो के लिए पट्‌टे पर दी है, ऐसी ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले गांवो के स्थाई निवासी छात्र/छात्राओं को दाखिले हेतू 5 अतिरिक्त अंक दिए जांएगे बशर्ते कि वह उसी गांव में ऐसी भूमि में स्थित संस्थान में दाखिला लेने के लिए आवेदन करता है।

दाखिले के लिए आवश्यक दिशा–निर्देशः–

3.2.1 प्रार्थियों को सलाह दी जाती है कि वह ऑनलाईन दाखिला आवेदन पत्र भरने से पहले दाखिला वैबसाईट पर दिए गए नमूना पत्र अभ्यास के लिए पहले भरें ताकि मुख्य फार्म को भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि की आशंका न रहे।

3.2.2 विभाग द्वारा छात्र/छात्राओं को छात्रावास की सुविधा नहीं दी जाती है। अतः प्रार्थियों को सलाह दी जाती है कि वह अपनी सुविधानुसार संस्थान का चयन सावधानी पूर्वक करें।

3.2.3 ऑनलाईन दाखिला कांउसलिंग में भाग लेने के लिए प्रार्थी को निम्नानुसार निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करवाना होगा :–

- सामान्य वर्ग के प्रार्थियों से 100 रू0 (non -refundable) शुल्क लिया जाएगा।
- अनुसूचित जाति वर्ग तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) के प्रार्थियों से 50 रू0 (non-refundable) शुल्क लिया जाएगा।
- महिला प्रार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

- जिन प्रार्थियो द्वारा दाखिला काउंसलिंग में सीट अलाटमैंट होने उपरान्त निर्धारित समय अवधि में सम्बन्धित संस्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज नही करवाई जाती है तथा दाखिला फीस जमा नही करवाई जाती तो उसे अगली दाखिला कांउसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा तथा कांउसलिंग में पुनः शामिल होने के लिए छात्रो को 500 रु0 तथा छात्राओं को 250 रु0 जुर्माने के रूप में आन–लाईन जमा करवाने होगे।
- दाखिला प्रकिया सम्पूर्ण होने उपरान्त यदि कोई छात्र/छात्रा किसी अन्य संस्थान में प्रवास/माईग्रेशन करवाना चाहता है तो छात्रो को 500 रु0 की फीस तथा छात्राओं को 250 रु0 की फीस आन–लाईन जमा करवानी होगी।

3.2.4 प्रदेश में स्थित राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चलाए जा रहे व्यवसाय DGT भारत सरकार के अधीन गठित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) एवं राज्य सरकार की राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (SCVT) के अधीन संचालित हैं।

3.2.5 प्रार्थियों को SCVT अथवा NCVT व्यवसायों में प्रवेश हेतु अलग–अलग ऑनलाईन आवेदन–पत्र नहीं भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन फार्म में दोनों ही प्रकार के व्यवसायों को चुनने का विकल्प उपलब्ध होगा।

3.2.6 प्रार्थी विवरण पुस्तिका को भली–भाँति पढ़कर स्पष्ट रूप से ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरें। त्रुटि–पूर्ण एवं अधूरे भरे गये ऑनलाईन आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इनके प्रति कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3.2.7 ऑनलाईन भर कर submit किए गये आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट (Printout) की एक प्रति प्रार्थी अपने पास सुरक्षित रखें।

3.2.8 ऑनलाईन आवेदन पत्र को निर्धारित फीस भरकर जमा करवाने उपरांत प्रार्थी उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं कर सकेंगे। यदि फार्म में गलती हो गई है या उसमें संशोधन करना है तो ऐसी स्थिति में पुराने भरे गए फार्म को रद्द करने उपरान्त ही नया फार्म भरा जा सकता है जिसके लिए शुल्क जमा कर पुनः आवेदन करना होगा ।

3.2.9 राजकीय (महिला)/निजी (महिला) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 100 प्रतिशत सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित हैं तथा अन्य सभी संस्थान सह शिक्षण (co-education) संस्थानो में दाखिले के लिए उपलब्ध सीटों में से 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है।

3.2.10 सभी व्यवसायों का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा वार्षिक प्रणाली (annual pattern) अनुसार होगा ।

3.2.11 प्रार्थी को आवश्यकता अनुसार अपने मूल–प्रमाण पत्रों की scanned प्रतियां दाखिला पोर्टल पर अपलोड करनी अनिवार्य है। दाखिला पोर्टल पर इन scanned प्रतियों के आधार पर ही दाखिला मंजूर किया जाएगा व यदि सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड नही पाए गए तो दाखिला रदद कर दिया जाएगा।

3.3 सीट आवंटन प्रक्रिया

प्रशिक्षण सत्र 2025–26 में दाखिला हेतु राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित हैः–

3.3.1 ऑनलाईन आवेदन फार्म भरते समय प्रार्थी हरियाणा प्रदेश में किसी भी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के किसी भी व्यवसाय (SCVT/NCVT से सम्बद्ध) के लिए आवेदन कर सकते हैं। संस्थान स्तर पर एवं आरक्षण के आधार पर व्यवसायवार सीटों की संख्या ऑनलाईन उपलब्ध रहेगी।

3.3.2 प्रार्थी को आवेदन फार्म में अलग–अलग व्यवसायों/संस्थानों को चुनने का विकल्प दिया जाएगा ताकि वह अपनी पंसद अनुसार विकल्पों को भरें तथा उन्हें वरीयता के क्रम में लगाते हुए अपना फार्म जमा करें।

3.3.3 ऑनलाईन दाखिला आवेदन पत्र में उम्मीदवार अपनी योग्यता अनुसार व्यवसाय/संस्थान के अधिकतम 15 विकल्प भर सकते हैं। उम्मीदवार केवल वही विकल्प भरें जिनमें दाखिला लेना है क्योकि सीट आंबटित होने उपरान्त यदि छात्र/छात्रा ने दाखिला नही लिया तो उसे आगामी दाखिला काउंसलिंग प्रकिया में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। **यद्यपि यदि वह भाग लेना चाहता तो छात्र को 500 रु व छात्रा को 250 रु0 जुर्माना राशी भरनी होगी।**

3.3.4 प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये संस्थान/व्यवसायों के विकल्पों में से योग्यता के आधार पर एवं विकल्पों की वरीयता के क्रमानुसार व्यवसाय/संस्थान में रिक्त सीटों की उपलब्धता अनुसार सीट आवंटित की जाएगी।

3.3.5 ऑनलाईन कांउसलिग पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश स्तर पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अलग–2 योग्यता सूची तैयार की जायेगी। ऐसे व्यवसाय जिनमें दाखिले हेतू न्यूनतम निर्धारित योग्यता 8वीं पास है, उन व्यवसायों में दसवीं पास उम्मीदवार यदि उपलब्ध हैं तो उन्हें वरीयता दी जायेगी। दसवीं पास उम्मीदवार उपलब्ध न होने की अवस्था में ही आठवीं पास उम्मीदवारों का दाखिला किया जायेगा। जिन व्यवसायों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास है उन व्यवसायों के लिए दसवीं में प्राप्त अंको के आधार पर मैरिट सूची बनाई जाएगी तथा जिन व्यवसायों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 पास है उन व्यवसायों के लिए 10+2 में प्राप्त अंको के आधार पर मैरिट सूची बनाई जाएगी।

3.3.6 प्रार्थी को व्यवसाय/संस्थान का आवंटन उसकी शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक (अतिरिक्त अधिमान अंक यदि कोई हो, को जोड़ते हुए) अनुसार चुने हुए विकल्पों में से ही मैरिट के आधार पर किया जायेगा।

नोट 1 प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विभिन्न व्यवसायों की न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता एवं व्यवसायवार, प्रशिक्षण अवधि का ब्यौरा मार्ग दर्शन हेतु Annexure-A पर उपलब्ध है, जिसमें कि भारत सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किये जाने पर चयनित प्रार्थी को तदानुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

नोट 2 यह आवश्यक नहीं है कि प्रार्थी द्वारा दाखिला फार्म में व्यवसाय/संस्थानों के अधिकतम विकल्प भरने के उपरांत भी भरे हुए विकल्पों मे से किसी विकल्प पर प्रार्थी को दाखिला मिले। प्रार्थी का दाखिला मैरिट सूची में प्राप्त की गई रैंक एवं संबंधित व्यवसाय में उस रैंक पर सीटों की उपलब्धता पर निर्भर रहेगा।

4. ऑनलाईन कांउसलिंग दाखिला प्रक्रिया

4.1 प्रथम कांउसलिंग चरण

4.1.1 कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा द्वारा सत्र 2025–26 में दाखिले हेतु आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए संस्थानवार, व्यवसायवार, किसी विशेष योजना के अन्तर्गत चल रहे व्यवसाय एवं वर्गवार सीटों का विवरण उपलब्ध करवाया जाएगा जिसके आधार पर सीटों का आवंटन होगा।

4.1.2 दाखिले के लिए 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा में प्राप्त अकों के आधार पर प्रदेश स्तरीय अलग–2 मैरिट सूची तैयार की जायेगी।

4.1.3 प्रथम दाखिला चरण में किसी भी संस्थान/व्यवसाय में सीटों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए मैरिट सूची के क्रम अनुसार प्रार्थियों को सीट आवंटित की जायेगी। प्रत्येक प्रार्थी के लिए उसके द्वारा अंकित प्रथम वरीयता के व्यवसाय/संस्थान के लिए यह परीक्षण किया जायेगा कि क्या उसकी योग्यता के आधार पर उसके द्वारा मैरिट क्रम में चिन्हित व्यवसाय/संस्थान में सामान्य श्रेणी से सम्बन्धित सीट आवंटित की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं है, तो प्रार्थी के आरक्षण वर्ग (यादि कोई लागू हो तो) (if applicable) के आधार पर सीट आवंटन का प्रयास किया जाएगा। उसके द्वारा मैरिट क्रम में चिन्हित अगले व्यवसाय के लिए यही प्रक्रिया दोहराई जायेगी जब तक उसके द्वारा चिन्हित समस्त व्यवसायों एवं संस्थानों में कोई सीट उपलब्ध न रहे।

4.1.4 तत्पश्चात योग्यता सूची मे अगली वरीयता क्रम के प्रार्थी के लिए यहीं प्रक्रिया दोहरायी जायेगी और इसी क्रम में समस्त प्रार्थियों के लिए इस प्रक्रिया का पालन करते हुए सीटों का आवंटन किया जायेगा जब तक कि समस्त उपलब्ध सीटें आवंटित नहीं हो जाती।

4.1.5 प्रार्थियों द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए व्यवसाय एवं संस्थानों के विकल्प के अनुसार की गई सीट आवंटन का परिणाम तैयार करवाने उपरांत दाखिला वैबसाईट पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा सीट आवंटन बारे प्रार्थियों को SMS द्वारा भी सूचित किया जाएगा।

4.1.6 सीट अलॉटमैंट के पश्चात संबंधित संस्थान द्वारा आनलाईन दाखिला फार्म में भरी गई सूचना का प्रार्थी द्वारा अपलोड किए गए मूल–प्रमाण पत्रों की scanned प्रतियों से मिलान करते हुए जांच की जाएगी तथा सभी सूचना सही पाए जाने उपरांत ही दाखिला किया जाएगा। यदि दाखिले हेतु सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड नही पाए गए तो दाखिला रद्द कर दिया जाएगा।

4.1.7 संस्थान द्वारा प्रार्थी के प्रमाण पत्रों के सत्यापन बारे सूचना प्रार्थी के रजिस्र्टड मोबाईल नम्बर पर SMS एवं उसके दाखिले पोर्टल के लॉगिन आई0डी अथवा email के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। जिसके पश्चात नियत समय से पहले प्रार्थी को देय दाखिला फीस ऑनलाईन ही जमा करवानी होगी जिसका लिंक विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सैनिक परिवार भवन एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों मे भी दाखिला फीस ऑनलाइन ही जमा करवानी होगी। देय फीस भरने उपरांत ही प्रार्थी को दाखिला दिया जाएगा जो कि पूर्णतया अस्थाई होगा तथा संस्थान में कक्षाएं आरम्भ होने पर शैक्षिणक योगयताओं एवं आरक्षण आदि के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने उपरान्त एवं इनके सही पाये जाने पर ही दाखिला स्थाई किया जाएगा।

4.2 द्वितीय कांउसलिंग चरण

4.2.1 प्रथम कांउसलिंग चरण के उपरान्त संस्थानवार/व्यवसायवार रिक्त सीटों का विवरण दाखिला वैबसाईट पर उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रार्थियों द्वारा व्यवसाय/संस्थान का विकल्प पुनः भरने हेतु सूचना दाखिला वैबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी।

4.2.2 द्वितीय चरण की कांउसलिंग में भाग लेने के लिए प्रत्येक प्रार्थी को दाखिला पोर्टल पर निर्धारित तिथि तक अपनी सहमति देनी अनिवार्य नहीं है परन्तु यदि वे अपने आवेदन फार्म में भरे गए संस्थान/व्यवसाय का विकल्प बदलना चाहते हैं तो निर्धारित तिथि तक ऐसा कर सकते हैं। द्वितीय कांउसलिंग चरण के लिए ऐसे सभी आवेदनों को स्वतः लिया जाएगा जिन्हें प्रथम कांउसलिंग चरण में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है। यदि कोई प्रार्थी नया विकल्प नहीं चुनता, तो उसके ऑनलाईन आवेदन पत्र में पहले से भरे गए विकल्पों पर ही उसकी योग्यता के अनुसार व्यवसाय/संस्थान आवंटित करने का प्रयास किया जाएगा।

4.2.3 यदि कोई प्रार्थी जिसे प्रथम कांउसलिंग में सीट आवंटित हो चुकी है वह भी दोबारा कांउसलिंग में भाग ले सकता है परन्तु इस स्थिति में उसे आवंटित की गई सीट रद्द कर दी जाएगी एवं प्रार्थी द्वारा संस्थान में दाखिले के लिए जमा करवाया गया शुल्क वापिस नही किया जाएगा। द्वितीय कांउसलिंग में सीट आवंटन की पूरी प्रक्रिया प्रथम चरण की भांति की जायेगी।

4.3 तृतीय कांउसलिंग चरण

4.3.1 द्वितीय कांउसलिंग के बाद सभी सह–शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा

4.3.2 Deprived SC category (Annexure-D) के प्रार्थियों के लिए अनुसूचित जाति की कुल आरक्षित सीटों में से 50 प्रतिशत सीटों पर दिया गया आरक्षण दो काउसलिंग चरणों के पश्चात समाप्त कर दिया जाएगा।

4.3.3 यदि किसी प्रार्थी को प्रथम या द्वितीय कांउसलिंग में सीट आंवटित हो चुकी है वह भी दोबारा तृतीय कांउसलिंग में भाग ले सकता है परन्तु इस स्थिति में उसे पूर्व में आवंटित की गई सीट रद्द कर दी जाएगी एवं प्रार्थी द्वारा संस्थान में दाखिले के लिए जमा करवाया गया शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।

4.4 चतुर्थ कांउसलिंग चरण

तीसरे दाखिले के उपरान्त सभी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आरक्षित श्रेणियों (पिछड़े वर्ग/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS)/अनुसूचित जाति वर्ग/दिव्यांग) की रिक्त रह गई सीटों को चतुर्थ दाखिले हेतु सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जायेगा तथा सभी प्रकार का आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा।

4.4.1 चतुर्थ कांउसलिंग चरण की समस्त कार्यवाही पहले किए गए काउंसलिगं चरणों की भांति ही की जायेगी।

4.4.2 यदि किसी प्रार्थी को प्रथम, द्वितीय या तृतीय कांउसलिंग में सीट आंवटित हो चुकी है वह भी दोबारा दाखिला कांउसलिंग में भाग ले सकता है परन्तु इस स्थिति में उसे पूर्व में आंवटित की गई सीट रद्द कर दी जाएगी एवं प्रार्थी द्वारा संस्थान में दाखिले के लिए जमा करवाया गया शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।

4.5 दाखिले हेतु महत्वपूर्ण सूचना

4.5.1 100 प्रतिशत सीटें हरियाणा के मूल निवासी युवक–युवतियों से भरी जानी हैं यद्यपि तीसरी दाखिला काउंसलिंग के बाद अन्य राज्यों के निवासी आवेदनकर्ता उम्मीदवारो को भी चतुर्थ दाखिला काउंसलिंग की मैरिट सुची में शामिल कर सीट आंबटित की जाएगी।

4.5.2 ऑनलाईन विकल्प आधारित दाखिला प्रकिया चरणबद्ध तरीके से सम्पन्न की जायेगी। प्रदेश में निर्धारित कांउसलिंग कार्यक्रम अनुसार अन्तिम प्रवेश तिथि के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में किसी प्रार्थी का प्रवेश सम्भव नहीं होगा। विवरणी में दर्शाये गये किसी भीं दाखिले निर्देश, शर्तो को वापिस लेने /परिवर्तन का पूर्ण अधिकार कौशल विकास एवं औद्यागिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा के पास सुरक्षित रहेगा।

5 दाखिला सत्र

सत्र 2025–26 के आरम्भ बारे अलग से सूचित कर दिया जाएगा तथा इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट का अवलोकन करते रहे ।

6. दाखिला प्रकिया

विभागीय दाखिला वैबसाईट पर निर्धारित तिथि को मैरिट सूची के प्रदर्शन व सीट आबंटन पश्चात प्रार्थी अपना सीट आवंटन पत्र (allotment letter) प्रिंट कर सकते है। इस पत्र में प्रार्थी को आवंटित किए गए व्यवसाय एवं संस्थान का विवरण होगा। संबंधित संस्थान द्वारा प्रार्थी के फार्म में अपलोड दस्तावेजों की मूल–प्रमाण पत्रों से जांच के उपरांत ही दाखिला दिया जाएगा। प्रार्थी अपने लॉगिन आई0डी0 से दाखिला स्थिति जांच सकते हैं तथा यह ठीक पाए जाने के पश्चात ही उन्हें फीस जमा करने का लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा। पूरी फीस जमा करवाने उपरांत ही प्रार्थी को अस्थाई दाखिला दिया जाएगा। निर्धारित तिथि तक देय फीस जमा न करने की स्थिति में प्रार्थी का सीट अलॉटमेंट रद्द कर दिया जाएगा। कक्षाएं शुरु होने के एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर प्रार्थी द्वारा अपने मूल दस्तावेज संस्थान में चैक करवाने उपरान्त ही दाखिला स्थाई माना जाएगा। दस्तावेजों में कमी /त्रुटि पाए जाने की स्थिति में दाखिला रद्द कर दिया जाएगा व जमा करवाया गया शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा जिसके लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा।

6.1 संस्थान में दाखिला उपरान्त उपस्थिति दर्ज करवाना

दाखिला प्राप्त सभी छात्र/छात्राएं अपने–2 सम्बन्धित संस्थानों में (जहां उनका दाखिला हुआ है), कक्षाए शुरु होने के एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर अपने मूल दस्तावेजों की जांच करवांएगें अन्यथा उनका दाखिला स्थाई नहीं माना जाएगा। जांच के दौरान दस्तावेजों में कमी पाए जाने की स्थिति में प्रार्थियों द्वारा जमा करवाया गया शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा तथा दाखिला रद्द कर दिया जाएगा।

7. अन्तिम दाखिला

ऑनलाईन दाखिला काउंसलिंग के चार चरण पूर्ण होने के पश्चात भी यदि राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सीटें रिक्त रह जाती हैं तो ऐसी रिक्त सीटों के प्रति अन्तिम दाखिले के लिए समय सारणी एवं पूर्ण कार्यक्रम विभाग की दाखिला वैबसाईट पर एवं मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। अन्तिम दाखिले के लिए रिक्त सीटों की सूची विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

8. आरक्षण

दाखिले हेतू आरक्षण निम्न अनुसार है :–

(i) अनुसूचित जाति : 20% (10% for Deprived SC &10% for other SC castes)

(ii) पिछडे वर्ग : 27% (16% for Block-A &11% for Block-B)

(iii) आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग (EWS) : 10%

(iv) दिव्यांग : 04%(01% Blind /Low Vision, 01% Deaf & Dumb, 01% Locomotors disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, 01% Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness)

नोटः–

8.1 केवल हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

8.2 अनुसूचित जाति की कुल आरक्षित सीटों में से 50 प्रतिशत सीटें Deprived SC category (Annexure-D) वर्ग के प्रार्थियों हेतु द्वितीय दाखिले चरण तक आरक्षित रहेंगी।

8.3. दिव्यांग श्रेणी के आरक्षण हेतु उम्मीदवार का न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण–पत्र सक्षम मैडीकल बोर्ड द्वारा जारी होना अनिवार्य है।

8.4 दिव्यांग आरक्षित श्रेणी में दाखिला राजकीय चिकित्साल्य अथवा सक्षम अधिकारी से जारी किए गए मैडिकल प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करने की स्थिति में ही दिया जाएगा। दिव्यांग श्रेणी के अन्तर्गत प्रार्थियों को दाखिला केवल उन्हीं व्यवसायों में दिया जाएगा जो कि प्रार्थी की दिव्यांगता अनुसार उनके लिए उपयुक्त हैं। ऐसे व्यवसायों की सूची विभागीय वैबसाईट www.admissions.itiharyana.gov.in पर उपलब्ध है।

8.5 यदि दिव्यांग श्रेणी हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो उनके स्थान पर 01 प्रतिशत तक भूतपूर्व सैनिक अथवा उनके आश्रितों तथा 01 प्रतिशत तक स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को दाखिला दिया जा सकता है। भूतपूर्व सैनिक/उनके आश्रितों को दाखिला देने के लिए प्रार्थी को सक्षम अधिकारी/जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी आश्रित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

8.6 मूक एवं बधिर कल्याण केन्द्र, गुरूग्राम में 100 प्रतिशत सीटों पर मूक एवं बधिर प्रार्थियों का दाखिला होगा।

8.7 Further, 3% Horizontal reservation is also provided to Ex-servicemen/Freedom Fighters and their dependents by providing reservation within reservation of 1% of general category, 1% out of scheduled castes and 1% from backward classes category for admission. As far as block allocation in Block A and Block B of Backward Class category is concerned, yearwise rotational system will be adopted e.g. If A Block of Backward classes are given seats in the academic year 2014, the next block i.e. B Block of category of Backward Classes will be given seats in the next academic year i.e. 2015. **(Block-B in 2025-26)**

8.8 पिछड़े वर्ग की आरक्षित सीटें यदि खण्ड 'ए' में रिक्त रह जाती है तो वह खण्ड 'बी' के प्रार्थियों से भरी जा सकती है। इसी प्रकार खण्ड 'बी' की रिक्त सीटें खण्ड 'ए' के प्रार्थियों द्वारा भरी जा सकती है। पिछड़े वर्ग की आरक्षित रिक्त सीटें अन्य खण्ड से दूसरे दाखिले के उपरान्त ही भरी जाये (List of BCA & BCB is placed at Annexure-E)

8.9 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में SCSP योजना (Scheduled Cast Sub Plan) के अन्तर्गत चलाए जा रहें प्रत्येक व्यवसाय यूनिट में 75 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति तथा 25 प्रतिशत सीटें अन्य वर्ग के प्रार्थियों से भरी जाएंगी।

9. चरित्र प्रमाण–पत्र

(i) वर्ष 2023 में शैक्षणिक योग्यता (10वीं/12वीं) पास करने वाले प्रार्थियों के लिए अपने अंतिम शिक्षण संस्थान के मुखिया से बनवाया गया चरित्र प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(ii) ऐसे प्रार्थी (केवल पुरूष) जिन्होंने दाखिले के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वर्ष 2023 से पहले उत्तीर्ण की है वे अंतराल अवधि (Gap period) एवं चरित्र प्रमाण–पत्र नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर दाखिले के समय प्रस्तुत करेंगे। महिला प्रार्थी केवल अंतिम शिक्षण संस्थान के मुखिया द्वारा बनाया गया चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगी।

10. महिलाओं के लिए प्रावधान

सभी सह–शिक्षण राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए सभी वर्गों में दाखिले में आरक्षण (horizontal) निम्नानुसार है :–

10.1 औद्योगिक प्रशिक्षण सह–शिक्षण संस्थानों में जो यूनिट विशेष तौर पर महिलाओं के लिए चल रहे है उनमें केवल महिलाओं का ही दाखिला होगा।

10.2 औद्योगिक प्रशिक्षण सह–शिक्षण संस्थानों में स्टैनों हिन्दी तथा स्टैनों अंग्रेजी व्यवसायों में पहले की भांति 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए रहेगा।

10.3 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपरोक्त क्रमांक 1 व 2 के अतिरिक्त अन्य सभी व्यवसायों में महिलाओं के लिए दाखिले में 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित है।

10.4 सभी सह–शिक्षण संस्थानों में चल रहे Cosmetology व्यवसाय में केवल महिला प्रार्थियों का ही दाखिला किया जाएगा।

10.5 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कोपा (COPA) व्यवसाय में दाखिल छात्राओं को अग्रेंजी माध्यम में प्रशिक्षण ग्रहण करने का विकल्प प्रदान किया जा रहा है।

10.6 सत्र 2025-26 से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने पर ऐसी सभी छात्राओं जिनके अभिभावको की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से कम हो, उनको प्रत्येक वर्ष 08 मार्च "अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस" पर प्रशिक्षण अवधि के दौरान सरकार द्वारा एक मुश्त 2500 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी ।

11 संस्थानों हेतु निःशुल्क भूमि प्रदान करने वाली पंचायतों के निवासियों को दाखिले में लाभः–

जिन ग्राम पचांयतों ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु भूमि सरकार को दान में दी है या सरकार की हिदायतों अनुसार एक रुपया प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से 33 वर्षो के लिए पट्टे पर दी है, ऐसी ग्राम पंचायतों के स्थाई निवासियों को सम्बन्धित संस्थान में दाखिला लेने का विकल्प भरने पर. दाखिला मैरिट सूची में 5 अतिरिक्त अंक जोडे जाएंगे ताकि उन्हे दाखिला में वरीयता मिलें ।

12. भारत सरकार की "Upgradation of 196 Govt. ITIs through Public Private Partnership" योजना के अन्तर्गत जिन 52 संस्थानों का उन्नयन (upgrade) किया जा रहा है, उन संस्थानों में चल रहे सभी व्यवसाय यूनिटों की 20 प्रतिशत सीटों पर दाखिला संस्थान प्रबन्धक कमेटी (IMC) कोटे का होगा। इन सीटों पर दाखिले के लिए प्रार्थी को सामान्य सीटों के लिए वसूल किए जाने वाला शुल्क, निधि, प्रतिभूति आदि के अतिरिक्त 600/–रु0 प्रति माह का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। 600/–रु0 प्रति माह की यह फीस संस्थान प्रबन्धक कमेटी (IMC) के खाते में जमा होगी। इस दाखिले हेतु मूल योग्यता सूची व आरक्षण प्रणाली यथावत लागू होगी। इन सीटों के प्रति दाखिला ऑन लाईन कांउसलिंग प्रकिया से होगा तथा आवेदन पत्र भरते समय प्रार्थी को इन संस्थानों में सामान्य शुल्क की एवं संस्थान प्रबंधक कोटे की सीटें अलग–2 प्रदर्शित होंगी (List of 52 PPP Govt. ITIs at Annexure-C).

13. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, साल्हावास (जिला झज्जर) की कुल स्वीकृत सीटों में से 10 प्रतिशत सीटें APCPL Ltd. द्वारा झाड़ली में लगााए गए ताप उर्जा संयत्र (Thermal Power Plant) के कारण विस्थापित परिवारों के लिए आरक्षित होगीं जिनके प्रति दाखिले के लिए उम्मीदवारों को APCPL कम्पनी नामांकित करेगी। नामांकन के दौरान विभिन्न वर्गो के लिए आरक्षण निर्देशों की पालना करनी होगी। इन सीटों के प्रति दाखिला ऑन लाईन पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य है।

14. हरियाणा राज्य के रा0औ0प्रशि0 संस्थानों में प्रवेश लेने वाले सभी प्रशिक्षुओं को उनके परीक्षा परिणाम से पूर्व निःशुल्क पासपोर्ट की सुविधा (by the way of reimbursement of application fee of Rs. 1500) प्रदान करने हेतु खर्च होने वाली राशि को स्टेट प्लान स्कीम से वहन निम्नशर्तो के अनुसार किया जाएगा।

1. उम्मीदवार को हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए या हरियाणा राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. कोर्स के दौरान उम्मीदवार की कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति होनी चाहिए।
3. संस्थान द्वारा उसे फाईनल परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाना चाहिए और वह सभी थ्यरी व प्रैक्टीकल परीक्षाओं में उपस्थित होना चाहिए।
4. उम्मीदवार के पास पहले से पासपोर्ट नही होना चाहिए और राजकीय आई0टी0आई0 में प्रवेश पाने के बाद ही उसके लिए आवेदन किया हो।

उपरोक्त शर्तो को पूरा करने वाले राजकीय आई0टी0आई0 के प्रशिक्षुओं को अपनी फाईनल परीक्षा से कम से कम 3 माह पूर्व पासपोर्ट के लिए आवेदन करना होगा।

15. DGT द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिल प्रत्येक छात्र/छात्रा को IT Literacy का निर्धारित पाठ्यक्रम पढना अनिवार्य है।

16. नुहं जिले के निवासियों के लिए जिला नुहं में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सभी सीटों के प्रति 50 प्रतिशत आरक्षण है। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आवेदक द्वारा दाखिले हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जिला नुंह के किसी स्कूल से उत्तीर्ण की हो अथवा प्रमाण हेतु अपना रिहायशी प्रमाण पत्र/वोटर पहचान पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड मूल रूप में दाखिले के समय प्रस्तुत करना होगा।

17 नुहं जिले में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाली सभी छात्राओं को 1000 रु0 मासिक प्रोत्साहन राशी दी जाएगी बशर्ते कि उसकी प्रत्येक तिमाही में कम से कम 80 प्रतिशत हाजरी हो तथा वह नुहं जिले की स्थाई निवासी हों। यह प्रोत्साहन राशी छात्रा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अन्य छात्रवृतियों/ लाभों के अतिरिक्त होगी।

18 शुल्क, निधियाँ एवं प्रतिभूतियाँ तथा इनके नियम (राजकीय औ0 प्र0 संस्थानों में)

18.1 शिक्षण शुल्क (Tution fees)

हरियाणा राज्य के मूल निवासी छात्रों को प्रतिमास 15/–रूपये शिक्षण शुल्क व अन्य राज्यों के मूल निवासी छात्रों को प्रति मास 300/– रू0 शिक्षण शुल्क के रूप में देने होंगे। जिन छात्रो का दाखिला आई0एम0सी0/पी0पी0पी0 की सीटो पर हुआ है उन्हें 600रु प्रति माह की दर से अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। तीन–तीन मास का इकट्ठा शुल्क प्रत्येक तिमाही के प्रथम माह अर्थात अगस्त, नवम्बर, फरवरी एवं मई मास की 20 तारीख तक जमा करवाना होगा। 21 तारीख से 30 तारीख तक शुल्क दो रूपये प्रतिदिन जुर्माना के साथ जमा किया जा सकता हैं। जो छात्र इस अवधि में भी शुल्क जमा नहीं करवाएंगे उनका नाम बिना सूचित किये संस्थान से काट दिया जाएगा। सभी छात्राओं का शिक्षण शुल्क माफ है।(विस्तृत जानकारी के लिए **Annexure –F** देखे)।

18.2 छात्रनिधि (Student Fund)

प्रत्येक छात्र/छात्रा को छात्रनिधि 30 रू0 प्रतिमास की दर से त्रैमासिक फीस के साथ जमा करवाना होगा जो कि अप्रतिदेय (non-refundable) है।

18.3 भवन निधि (Building Fund)

प्रत्येक छात्र/छात्रा को 120 रू0 प्रतिवर्ष की दर से भवन निधि शिक्षण सत्र के आरम्भ में ही एकमुश्त जमा करवानी होगी। अपने कोर्स के दूसरे वर्ष में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को भी भवन निधि अगस्त मास में 120 रू0 एकमुश्त पुनः जमा करवानी होगी। यह अप्रतिदेय (non-refundable) है।

18.4 पहचान पत्र (Identity Card)

प्रत्येक छात्र/छात्रा को दाखिले के समय 10 रू0 पहचान पत्र के लिए जमा करवाने होंगे। पहचान पत्र खो जाने पर छात्र/छात्रा को शपथ पत्र देना होगा तथा नया पहचान पत्र बनवाने हेतु पुनः 10रू0 जमा करवाने होंगे।

18.5 प्रतिभूति (Security)

(i) दाखिले के समय प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रतिभूति के रूप में 300 रू0 की राशि जमा करवानी होगी। प्रशिक्षण की सन्तोषजनक समाप्ति पर यदि कोई सरकारी देय (Govt. Dues) हो, की कटौती करते हुए प्रतिभूति की राशि छात्र/छा़त्रा को वापिस लौटा दी जाएगी।

(ii) पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए 25 रू0 प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। प्रशिक्षण की सन्तोषजनक समाप्ति पर यदि कोई सरकारी देय हो, की कटौती करते हुए प्रतिभूति (Security) वापिस लौटा दी जाएगी।

(iii) यदि कोई छात्र/छात्रा प्रशिक्षण अधूरा छोड़कर चला जाता है या उसका नाम संस्थान द्वारा काट दिया जाता है तो उस अवस्था में जमा करवाई गई प्रतिभूति की राशि वापिस नहीं की जाएगी।

नोटः– दाखिले के समय ही शिक्षण शुल्क, छात्रनिधि, भवन निधि एवं प्रतिभूति राशि जमा करवाई जानी अनिवार्य है।

18.6 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए शुल्कः–

DGT से प्राप्त निर्देशानुसार निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए निम्न प्रकार से शुल्क निर्धारित की गई है जो कि दाखिले के समय दाखिला पोर्टल पर ऑनलाईन जमा होगी तथा शेष तिमाहियों की फीस भी दाखिला पोर्टल पर ऑनलाईन ही जमा होगी और यदि उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक शुल्क नहीं जमा करवाता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा :–

Fees to be deposited at the time of admission (in Rs.)	**1 Year Trade**		**2 Year Trade**	
Engineering Trades	Admission fee (Non Refundable)	5000/-	Admission fee (Non Refundable)	5000/-
	1st Quarter Fee	5250/-	1st Quarter Fee	5875/-
	Grand Total	10250/-	Grand Total	10875/-
Non Engineering Trades	Admission fee (Non Refundable)	5000/-	Admission fee (Non Refundable)	5000/-
	1st Quarter Fee	4050/-	1st Quarter Fee	4675/-
	Grand Total	9050/-	Grand Total	9675/-

Sr. No.	**Category of trades**	**Annual fee per trainee under Craftsmen Training Scheme**
1	Engineering	Rs.26,000/-
2	Non-Engineering	Rs.21,200/-

इसके अतिरिक्त किसी अन्य शुल्क की जानकारी सम्बन्धित संस्थान से प्राप्त की जा सकती है।

नोटः–

सभी निजि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में संस्थान स्तर पर होने वाली दाखिला प्रकिया के समय दाखिला फीस आनलाईन जमा किये जाने का प्रावधान है। अतः दाखिला पाने वाले सभी छात्र /छात्राऐं यह सुनिष्चित करें कि ऑनलाईन दाखिला , दाखिला पोंटल के माध्यम से दाखिला अवधि के दौरान निर्धारित तिथि तक फीस आनलाईन जमा करवाने उपरान्त ही किया गया हो। यदि कोई छात्र/छात्रा किसी संस्थान में अपने स्तर पर ऑफलाईन फीस जमा करवाकर दाखिला लेते हैं अथवा कट ऑफ तिथि के बाद यदि कोई उम्मीदवार किसी संस्थान में दाखिला लेता है तो यह दाखिला अवैध माना जायेगा तथा ऐसी स्थिति में आवेदक छात्र/छात्रा स्वंय जिम्मेवार होगा।

19 **छात्रवृतियां**

संस्थान में प्रशिक्षण अवधि में पात्र प्रशिक्षणार्थियों को योग्यता के आधार पर निम्न अनुसार छात्रवृतियां दी जाती हैं:–

19.1 सभी राजकीय/निजि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिल अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित हरियाणा निवासी छात्र/छात्राओं को भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशीप योजना के अन्तर्गत 208/–रू0 प्रतिमास छात्रवृति दी जाती है, इसके इलावा सरकार द्वारा ट्यूशन फीस, छात्र फण्ड, बिल्डिग फण्ड व पहचान पत्र इत्यादि की अदायगी भी की जाती है।

सभी निजि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिल अनुसूचित जाति के हरियाणा निवासी छात्र/छात्राओं को ट्यूशन फीस व अन्य भत्ते राजकीय आई0टी0आई0 की दरों के अनुसार (ट्यूशन फीस अधिकतम 1000/–रू0 प्रतिमाह) अदायगी की जाती है।

उपरोक्त छात्रवृति हेतू प्रशिक्षणार्थी के परिवार की सालाना आय 2.50 लाख रू0 से कम तथा छात्र/छात्राओं के ही आधार नम्बर, परिवार पहचान पत्र व इन्कम प्रमाण–पत्र प्रशिक्षणार्थी का ही आधार नम्बर बैक खाते से लिंक होना अनिवार्य है। केवल उन्ही प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृति देय होगी जिनकी संस्थान में प्रतिवर्ष उपस्थिति 75 प्रतिशत या उससे अधिक होगी।

नोटः पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप के नियमों के अनुसार राजकीय/निजि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के एन.सी.वी.टी. स्कीम के अन्तर्गत दाखिल छात्र/छात्राओं को ही उक्त का लाभ मिलेगा व छात्रवृति को प्राप्त करने के लिए **(harchhatravratti.higheredubry.ac.in)** पर अप्लाई करना होगा।

19.2 सभी राजकीय/निजि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिल अन्य पिछड़ा वर्ग के हरियाणा निवासी छात्र/छात्राओं को भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशीप योजना के अन्तर्गत केवल शैक्षणिक भत्ता 5000/–रू0 प्रतिवर्ष दिया जाता है।

उपरोक्त छात्रवृति हेतू प्रशिक्षणार्थी के परिवार की सालाना आय 2.50 लाख रू0 से कम तथा छात्र/छात्राओं के ही आधार नम्बर, परिवार पहचान पत्र व इन्कम प्रमाण–पत्र व प्रशिक्षणार्थी का ही आधार नम्बर बैक खाते से लिंक होना अनिवार्य है। केवल उन्ही प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृति देय होगी जिनकी संस्थान में प्रतिवर्ष उपस्थिति 75 प्रतिशत या उससे अधिक होगी।

नोटः पोस्ट मैट्रिक स्कोलशीप के नियमों के अनुसार राजकीय/निजि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अन्य पिछडे वर्ग के केवल एन.सी.वी.टी. स्कीम के अन्तर्गत दाखिल छात्र/छात्राओं को ही उक्त का लाभ मिलेगा व छात्रवृति को प्राप्त करने के लिए **(harchhatravratti.higheredubry.ac.in)** पर अप्लाई करना होगा।

19.3 अल्प संख्यक वर्ग (मुस्लिम, इसाई, जैन, सिख पारसी एवं बौद्व धर्म) के योग्य छात्र/छात्राओं को 208/–रूपये प्रतिमास की दर से छात्रवृति व 10,000/–रू0 प्रति वर्ष तक की शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशीप योजना के मापदण्डों के अनुसार की जाती है। इसके लिए परिवार की सालाना आय 2.00 लाख रू0 से कम होनी अनिवार्य है। यह छात्रवृति अल्पसंखयक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को उनके खाते में दी जाती है। इस छात्रवृति को प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक वर्ग के दाखिला प्राप्त योग्य छात्र/छात्राऐ राष्ट्रीय स्कोलरशीप पोर्टल– www.scholarship.gov.in पर अप्लाई कर सकते है तथा योजना की विस्तृत जानकारी के लिए disabilityaffair.gov.in & www.scholarship.gov.in पर भी देख सकते है।

19.4 दाखिला प्राप्त योग्य दिव्यांग छात्र/छात्राओं को 400 रू0 प्रतिमास छात्रवृति, वाहन भत्ता 160/–रू0 प्रतिमास, अनुरक्षक भत्ता (Escort Allowance) 160/–रू0 प्रतिमाह (80 प्रतिशत दिव्यांग के लिए) वास्तविक शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति (अधिकतम सीमा 1.50 लाख रूपये प्रति वर्ष) सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशीप के मापदण्डों के अनुसार की जाती है। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रू0 से कम होनी अनिवार्य है। (इस छात्रवृति को प्राप्त करने के लिए दिव्यांग प्रशिक्षणार्थी राष्ट्रीय स्कोलरशीप पोर्टल– www.scholarship.gov.in पर अप्लाई कर सकते है तथा योजना की विस्तृत जानकारी के लिए E-mail disabilityharyana@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते है) यह छात्रवृति Social Justice and Empowerment Department, Haryana द्वारा सीधे ही लाभार्थीयों छात्र/छात्राओं के खाते में जमा करवाई जाती है।

नोटः– पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशीप के नियमों अनुसार दिव्यांग छात्र/छात्राओं को दस प्रतिशत अतिरिक्त भत्ते देय होगे।

19.5 राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम " Scholarship to Scheduled Caste Students Studying in Govt. ITI" सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अन्तर्गत दाखिला प्राप्त अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को 200/–रूपये प्रतिमास छात्रवृति तथा 15/–रूपये प्रति माह ट्यूशन फीस की अदायगी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस छात्रवृति के लिए परिवार की अधिकतम सालाना आय की कोई सीमा नही है। इस स्कीम में 8वी पास व 10वी पास के प्रशिक्षणार्थी भी अप्लाई कर सकते है। छात्रवृति को प्राप्त करने के लिए **(harchhatravratti.higheredurhry.ac.in)** पर अप्लाई करना होगा।

नोटः सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों के छात्र/छात्राऐं जो एस.सी.वी.टी. स्कीम में दाखिल हुए वह प्रशिक्षणार्थी तथा केन्द्रीय प्रायोजित पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशीप स्कीम में कवंर नही होते (एस.सी.वी.टी./एन.सी.वी.टी.) दोनों स्कीमें के प्रशिक्षणार्थी उक्त स्कीम में आवेदन कर सकते है। हरियाणा निवासी प्रमाण–पत्र व प्रशिक्षणार्थी का ही आधार नम्बर बैक खाते से लिंक होना अनिवार्य है। केवल उन्ही प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृति देय होगी जिनकी संस्थान में प्रतिवर्ष उपस्थिति 80 प्रतिशत या उससे अधिक होगी।

19.6 राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम "Scholarship of @ Rs 200/-per month to 25% of total admitted trainees on poverty and merit basis" सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिल हुए प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत तक की संख्या में छात्रों को निर्धनता तथा मैरिट के आधार पर 200/–रूपये प्रतिमास की दर से छात्रवृति दी जाती है। छात्रवृति को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षणार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होनी अनिवार्य है।

नोटः उपरोक्त छात्रवृति हेतू हरियाणा निवासी छात्र/छात्राओं के ही आधार नम्बर, परिवार पहचान पत्र व इन्कम प्रमाण–पत्र व प्रशिक्षणार्थी का ही आधार नम्बर बैक खाते से लिंक होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अन्य पिछडे वर्ग व सामान्य श्रेणी के प्रशिक्षणार्थी भी मैरिट के आधार पर इस स्कीम में पात्र होगे। केवल उन्ही प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृति देय होगी जिनकी संस्थान में प्रतिवर्ष उपस्थिति 80 प्रतिशत या उससे अधिक होगी।

19.7 सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला प्राप्त सभी श्रेणी की महिलाओं व अनुसूचित जाति से सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थियों को प्रोत्साहनार्थ 1000/रूपये तक की Tool Kit निःशुल्क प्रदान की जाती है।

नोटः– 1. उपरोक्त छात्रवृतियों बारे सरकार द्वारा यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

2. दाखिला प्राप्त छात्र/छात्राएं छात्रवृति हेतु आय प्रमाण पत्र उप–मण्डल अधिकारी (सिविल/कार्यकारी मैजिस्ट्रेट से सत्यापित किया गया जहां अनिवार्य है) प्रस्तुत करेंगे। यदि परिवार पहचान पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित है तो इस प्रमाण पत्र की आवश्यक्ता नही होगी।

3. उपरोक्त छात्रवृतियों को प्राप्त करने के लिए (19.1 से 19.5 के अलावा) योग्य छात्र/छात्राएं विभागीय पोर्टल पर (http://erp.itihry.com) विभाग द्वारा निर्धारित की गई अवधि में सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित (दसवीं पास प्रमाण–पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण–पत्र) On-line Apply करेंगें।

4. ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत छात्रवृति के लिए योग्य पाए जाने वाले प्रशिक्षणर्थियों को छात्रवृति की अदायगी लेने के लिये अपने बचत खाते की पासबुक की फोटोप्रति खाता नबंर सहित स्वंय सत्यापित करते हुए प्रधानाचार्य को देनी होगी।

5. छात्रवृति प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षणर्थियों के लिये आधार कार्ड बनवाना व आधार नंबर को बैंक खाते से सीड (Link) करवाना भी अनिवार्य है।

20 संस्थान का समय

सभी राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का समय प्रातः 9:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक रहेगा। प्रत्येक शनिवार, रविवार व केवल राजपत्रित अवकाश के दिन संस्थान बन्द होंगे। इसके अतिरिक्त सभी कार्यदिवसों को सभी संस्थान खुले रहेंगें।

21 प्रवास सुविधा

उपयुक्त एवं पर्याप्त कारण होने की स्थिति में संस्थान के मुखिया द्वारा छात्रों का प्रवास एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से दूसरे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रिक्त सीटों को मध्यनजर रखते हुए दाखिले उपरान्त 30 नवम्बर तक किया जा सकता है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं राजकीय (महिला) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ग्रहण कर रही सभी छात्राओं को उपयुक्त एवं पर्याप्त कारण होने की स्थिति में उनका प्रवास दाखिला समाप्ति के एक माह तक किया जा सकता है। NCVT व्यवसाय यूनिट में दाखिल छात्र/छात्राओं का प्रवास NCVT व्यवसाय यूनिट में तथा SCVT व्यवसाय यूनिट में दाखिल छात्र/छात्राओं का प्रवास SCVT व्यवसाय यूनिट में रिक्त सीटों के प्रति ही किया जा सकता है। मेवात क्षेत्र में स्थित संस्थानों में दाखिल छात्र/छात्राओं का प्रवास केवल मेवात क्षेत्र में स्थित संस्थानों में ही किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के बाद प्रवास हेतु प्राप्त प्रार्थना प़त्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। निजी औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों में दाखिल हुए छात्र/छात्राओं का प्रवास नहीं होगा। दाखिला प्रक्रिया सम्पूर्ण होने उपरान्त यदि कोई छात्र/छात्रा किसी अन्य संस्थान में प्रवास/माईग्रेशन करवाना चाहता है तो छात्रो को 500 रु0 की फीस तथा छात्राओं को 250 रु0 की फीस आन–लाईन जमा करवानी होगी।

22 प्रशिक्षणार्थियों के लिए विशेष हिदायतें

22.1 यदि कोई प्रशिक्षणार्थी संस्थान से बिना किसी सूचना के लगातार दस दिन अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम एक नोटिस देने उपरान्त संस्थान द्वारा काट दिया जाएगा, जिसके लिए प्रशिक्षणार्थी स्वंय जिम्मेवार होगा।

22.2 संस्थान से अनुपस्थित रहने वाले छात्र/छात्रा से एक रूपया प्रतिदिन की दर से जुर्माना वसूल किया जाएगा। जो छात्र/छात्रा दिन के किसी भाग में संस्थान से अनुपस्थित रहेगा उसे भी उस दिन का एक रूपया जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना त्रैमासिक फीस के साथ देय होगा।

22.3 सभी राजकीय/निजी संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राएं सप्ताह के प्रत्येक कार्यदिवस को विभाग द्वारा गर्मी व सर्दी हेतु निर्धारित वर्दी पहन कर आएंगे। वर्दी का नमूना व रंग संस्थान कार्यालय में देखा जा सकता है।

22.4 जो छात्र/छात्राएं परीक्षा के लिए 80 प्रतिशत हाजरियां पूरी नहीं कर पाएंगे उन्हें अगले वर्ष पुनः प्रवेश के लिए आवेदन करना होगा। DGT के निदेशानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पूर्व छात्रों को (जिनका नाम 80 प्रतिशत हाजरी पूरी न होने की वजह से कट चुका है) स्वीकृत सीटों के प्रति दाखिले मे वरीयता दी जाएगी ताकि वे अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर सकें।

22.5 छात्र/छात्रा को 15 दिन का चिकित्सा अवकाश दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए तीन सप्ताह तक का तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 6 सप्ताह तक का चिकित्सा अवकाश सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत किया जा सकता है।

23. परीक्षा

23.1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) से मान्यता प्राप्त व्यवसाय यूनिटों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा का आयोजन प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाता है और पास हुये छात्र/ छात्राओं को NCVT का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जिन छात्र/छात्राओं का दाखिला SCVT स्कीम के अन्तर्गत होगा उनकी परीक्षा तथा प्रमाण पत्र SCVT स्कीम के अन्तर्गत जारी होगा।

23.2 केवल उन्ही प्रशिक्षणार्थियों को वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी जिसकी प्रत्येक विषय में कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थितियां होंगी।

23.3 जो प्रशिक्षणार्थी 80 प्रतिशत हाजरियां पूरी कर लेते है परन्तु किन्ही कारणों से परीक्षा में नहीं बैठ सके तो प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अगली परीक्षा में बैठ सकते हैं।

24. परीक्षा फीस :

24.1 एस.सी.वी.टी. व्यवसाय

प्रैक्टिकल / ई.डी. / ओ.एम.आर. फीस

(क) नियमित छात्र	100 रुपये
(ख) फेल छात्र	100 रुपये (प्रति अवसर)
(ग) फार्म जमा करवाने की लेट फीस	500 रुपये

24.2 एन.सी.वी.टी. व्यवसाय

(i) प्रैक्टिकल / ई.डी. फीस

(क) नियमित छात्र	100 रुपये
(ख) फेल छात्र	100 रुपये (प्रति अवसर)
(ग) फार्म जमा करवाने की लेट फीस	500 रुपये

(ii) सी.बी.टी परीक्षा फीस

(क) नियमित छात्र	213 रूपये
(ख) फेल छात्र	213 रूपये (प्रति अवसर)

25. प्रशिक्षण संस्थान / केन्द्र तथा व्यवसायः–

25.1 दाखिला प्रकिया के दौरान प्रार्थी प्रत्येक जिले में चल रहे व्यवसायों एवं व्यवसायवार रिक्त सीटो बारे सूचना विभागीय वैबसाईट / दाखिला वैबसाईट के माध्यम से प्राप्त करते हुए आपना विकल्प दाखिला फार्म में भर सकते हैं। प्रत्येक संस्थान में NCVT/SCVT स्कीम के अन्तर्गत चल रहे व्यवसायों बारे तथा उनमें कितने प्रार्थी दाखिल किए जाने हैं इस बारे सूचना विभाग की वैबसाईट पर उपलब्ध है। आवश्यकता होने पर व्यवसायों में परिवर्तन भी किया जा सकता है जो व्यवसाय NCVT स्कीम के अन्तर्गत चलाए गए हैं, केवल उनकी परीक्षा NCVT स्कीम के अन्तर्गत ली जाएगी ।

25.2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अन्तिम व्यवसायिक परीक्षा NCVT/SCVT के अन्तर्गत उत्तीर्ण करने उपरांत छात्र / छात्राएं' शिक्षुता अधिनियम–1961' के अन्तर्गत निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों / सरकारी विभागों / निगमों में प्रशिक्षु नियुक्त हो सकते है। अधिनियम का विवरण वेबसाईट www.apprenticeship.gov.in व www.apprenticeshipindia.org पर भी उपलब्ध है।

25.3 अंतिम परीक्षा पास करने के बाद हर छात्र / छात्रा को अपने संस्थान के सम्बन्धित व्यवसाय अनुदेशक तथा संस्थान के मुखिया से सम्पर्क रखना चाहिए जिससे कि संस्थान के मुखिया उसको अप्रंटिस लगवाने / नौकरी दिलवाने / स्व रोजगार आरम्भ करने के बारे में उचित मार्ग–दर्शन कर सके।

25.4 सत्र 2025–26 में नए व्यवसाय आरम्भ किए जा सकते है तथा वर्तमान संस्थानों के स्वीकृत व्यवसायों तथा स्वीकृत सीटो में फेर बदल भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य में नए संस्थान भी खोले जा सकते हैं व इनमें भी दाखिला सयुंक्त योग्यता सूची से ही किया जाएगा। आवश्यकता पडने पर दाखिला प्रकिया, नियमों एवं दाखिला तिथियों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। इस बारे में नवीनतम सूचना हेतू विभागीय वैबसाईट www.admissions.itiharyana.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करें।

25.5 जिन व्यवसाय यूनिटों में 6 अथवा 6 से कम दाखिला होगा, उन्हें बन्द करते हुए उन व्यवसाय यूनिटों में दाखिल छात्र / छात्राओं को उनकी सुविधा / विकल्प अनुसार सम्बन्धित व्यवसायों अथवा नजदीकी संस्थानों में समायोजित किया जा सकता है। NCVT व्यवसाय में दाखिल छात्र / छात्राओं का समायोजन NCVT व्यवसाय में तथा SCVT व्यवसाय में दाखिल छात्र / छात्राओं का समायोजन SCVT व्यवसाय में रिक्त सीटों के प्रति ही किया जाएगा।

26. युवा मामले

विभाग द्वारा हरियाणा प्रदेश के 15 से 29 वर्ष के सभी युवाओं को उनकी सांस्कृतिक एंव अन्य प्रतिभाओं जैसेः पेटिंग, डांसिग, स्टोरी राईटिंग, भाषण आदि प्रतिभा को उभारने के लिए जिला स्तर, राज्य स्तर पर प्रतियोगितांए आयोजित करवाई जाती है एंव इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को नगद ईनाम तथा प्रमाण पत्र दिये जाते है।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा द्वारा संचालित ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन पत्र भर कर जमा (submit) करने पर प्रार्थी उन सभी नियमों, प्रतिबंधों तथा उपबन्धों से आबद्ध हो जाता है जो विवरण–पुस्तिका में विभिन्न स्थानों पर दिये गये हैं एवं जिनमें समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है या नवीनतम नियम भी लागू किए जा सकते हैं।

2. यदि किसी प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत सूचना प्रवेश से पूर्व/प्रवेश के समय या भविष्य में असत्य पायी जाती है तो उस प्रार्थी का आवेदन/दाखिला निरस्त कर दिया जायेगा।

3. यह देखा गया है कि प्रार्थी अन्य वर्ग/वरीयता कॉलम में वरीयता के पात्र न होते हुए भी उसका चयन कर लेते हैं जिससे उस वर्ग में उनका चयन होने के उपरान्त पात्रता के अभाव में प्रवेश नहीं हो पाता है। अतः प्रार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि पात्रता होने पर ही सम्बन्धित वर्ग/वरीयता का चयन करें। यदि कोई प्रार्थी ऑन–लाइन आवेदन पत्र में अधूरी, अस्पष्ट अथवा गलत सूचना अंकित करता है तो आवेदन–पत्र की ऐसी सूचनायें आवेदन जमा (Submit) करने के बाद सशोधित नहीं की जा सकेगी। अपूर्ण/अस्पष्ट सूचना के कारण प्रार्थी को होने वाली हानि के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे अपूर्ण/अस्पष्ट/गलत भरे आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

4. ऑनलाईन दाखिला आवेदन पत्र में उम्मीदवार अपनी योग्यता अनुसार व्यवसाय/संस्थान के अधिकतम 15 विकल्प भर सकते हैं। उम्मीदवार केवल वही विकल्प भरें जिनमें दाखिला लेना है क्योकि सीट आंबटित होने उपरान्त यदि छात्र/छात्रा ने दाखिला नही लिया तो उसे आगामी दाखिला काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। यद्यपि यदि वह भाग लेना चाहता तो छात्र को 500 रु व छात्रा को 250 रु0 जुर्माना राशी भरनी होगी।..

5. विवरण पुस्तिका में दिये गये विवरण केवल प्रार्थी के सूचनार्थ एवं निर्देशार्थ हैं। विवरण पुस्तिका वैधानिक प्रलेख नहीं है। अतः इसका उपयोग वर्णित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए मान्य नहीं होगा।

6. यदि किसी चयनित प्रार्थी के प्रवेश की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र/मूल अंक तालिका (अस्थायी अथवा प्रतिबन्धों के साथ मान्य नहीं है) की 'प्राप्ति' विलम्ब से होती है अथवा किसी अन्य कारणवश यदि प्रार्थी संस्थान में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक वांछित शैक्षिक अर्हता का प्रमाण–पत्र आदि नहीं प्रस्तुत करता है अथवा प्रवेश नहीं ले पाता है तो सम्बन्धित प्रार्थी को प्रवेश प्रदान कराने का उत्तरदायित्व संस्थान/विभाग का नहीं होगा तथा प्रार्थी का चयन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

7 पहली तीन काउंसलिंग चरण केवल हरियाणा निवासी प्रार्थियों के लिए है, चौथे ऑनलाईन दाखिले के लिए संयुक्त मैरिट सूची में अन्य राज्यों के प्रार्थियों द्वारा किए गए आवेदन भी शामिल किए जाएंगे। विभाग के पास किसी भी दाखिला चरण के पश्चात नए आन–लाईन आवेदन पत्र आमत्रिंत करने की प्रक्रिया आरम्भ करने का अधिकार सुरक्षित है।

8. द्वितीय कांउसलिंग चरण के बाद सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित 30 प्रतिशत सीटों में से रिक्त बची सीटों को संबंधित आरक्षण वर्ग की सीटों में जोड़ दिया जायेगा तथा महिलाओं का आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा।

9. तृतीय कांउसलिंग के बाद आरक्षित कोटे में रिक्त बची सभी सीटों को सामान्य वर्ग में जोड़ दिया जायेगा तथा सभी प्रकार का आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा।

10. प्रार्थी ऑनलाईन काउंसलिंग में भाग लेने के लिए निर्धारित शुल्क जो कि अप्रतिदेय है (non-refundable) जमा करवायेंगें। यह शुल्क बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड तथा Net banking द्वारा ऑनलाईन माध्यम अथवा सरकार द्वारा अधिकृत ग्राहक सेवा केन्द्रों (CSC) से भी जमा करवाया जा सकता है।

11. महिला उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग शुल्क पूर्णतः माफ होगा ।

12 अनुसूचित जाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग (EWS) के प्रार्थियों से 50 रू0 एवं सामान्य वर्ग के प्रार्थियों से 100 रू0 online counseling शुल्क लिया जाएगा।

13 दाखिले के लिए मैरिट सूची बनाने से पहले प्रार्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों की जांच नहीं की जायेगी। प्रार्थियों द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर दी गई सूचना को सत्य माना जायेगा तथा यदि बाद में दाखिले के समय प्रार्थी द्वारा दी गई सूचना गल्त पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से ऐसे प्रार्थियों के आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जायेगा। ऐसे प्रार्थी दाखिले के पात्र नहीं होगें तथा उन द्वारा जमा की गई फीस भी वापिस नहीं की जायेगी।

14. मैरिट सूची के लिए उन्हीं आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जायेगा, जिनकी काउसलिंग फीस जमा हो चुकी है।

15. प्रार्थी अपनी शैक्षणिक योग्यताओं व चरित्र प्रमाण–पत्र, आरक्षण प्रमाण–पत्र इत्यादि की मूल प्रतियां दाखिले की तिथि को अपने साथ लेकर संस्थान में आयें अन्यथा दाखिला नहीं किया जायेगा जिसके लिये प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा।

16. जिन प्रार्थियों ने दाखिले के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा हरियाणा राज्य में स्थित हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों से पास की है तथा यह हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से पास परीक्षा के समकक्ष है, उन्हें हरियाणा निवासी प्रमाण–पत्र दाखिले के समय प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

17. दाखिले हेतु उपलब्ध व्यवसायों/यूनिटों की सूची एवं सीटों की संख्या विभागीय वैबसाईट www.admissions.itiharyana.gov.in पर उपलब्ध है।

18. NCVT से सम्बद्ध व्यवसाय यूनिट में दाखिला लेने के बाद प्रार्थी को पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद NCVT का प्रमाण–पत्र दिया जाएगा जो कि पूरे भारत–वर्ष में मान्य है। SCVT से सम्बद्ध व्यवसाय यूनिट में दाखिला लेने के बाद प्रार्थी का पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद SCVT का प्रमाण–पत्र दिया जाएगा जो कि केवल राज्य सरकार से ही मान्यता प्राप्त है। अतः SCVT व्यवसाय में दाखिला से पूर्ण प्रार्थी पूर्ण तरह से समझ लें कि इन्हें पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद SCVT का प्रमाण–पत्र दिया जाएगा।

19. सत्र 2025–26 में दाखिले के इच्छुक प्रार्थियों के पास अपना वैध मोबाईल नम्बर, परिवार पहचान पत्र तथा अपनी ई–मेल आई.डी एवं आधार कार्ड होना अनिवार्य है तथा केवल ऐसे प्रार्थी ही दाखिले के पात्र होंगें।

20. किसी भी प्रकार के वाद–विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र पंचकुला में स्थित न्यायालय ही मान्य होगा। प्रार्थी के प्रवेश के सम्बन्ध में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा तथा प्रार्थी विभाग के नियम मानने हेतु बाध्य होंगे।

ऑनलाईन आवेदन भरने के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश

1. हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रार्थी कांउसलिंग वैबसाईट www.admissions.itiharyana.gov.in पर लॉगिन करें तथा अपना पंजीकरण पूर्ण करें। ऑन लाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया 06.06.2025 से 20.06.2025 तक जारी रहेगी। निर्धारित तिथि के बाद पोर्टल नये पंजीकरण के लिए बंद कर दिया जाएगा।

2. प्रार्थी ऑनलाईन आवेदन से पहले सभी दिशा–निर्देशों को ध्यान से पढ़ें तथा उनसे सहमत होने के बाद ही आवेदन पत्र भरें।

3. अगर प्रार्थी को आनॅलाईन आवेदन पत्र भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो वह दाखिले के लिए बनाए गए हैल्प लाईन से मदद ले सकता है। दाखिले में सहायता के लिए दूरभाष नं0 दाखिला वैबसाईट पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन फार्म भरने की पूरी जानकारी उपलब्ध है।

4. आनॅलाईन पंजीकरण के लिए प्रार्थी को निम्नलिखिति सूचनांए भरनी आवश्यक है ताकि यह सूचना बाद में सीट आवंटन हेतु प्रयोग की जा सके।

   आवेदक का नाम, लिंग, आरक्षण वर्ग (पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति इत्यादि), शैक्षणिक योग्यता (10वीं/12वीं में प्राप्त अंक), पिता/माता का नाम, व्यवसाय/संस्थान का चयन, मोबाईल नं0. आधार नंबर , परिवार पहचान पत्र एवं अपनी ई–मेल आई0डी0 इत्यादि।

नोटः– प्रार्थी इन सब सूचनाओं को पोर्टल पर भरने से पहले भली–भांति चैक कर लें। एक बार ये सब सूचनांए पोर्टल पर भरने उपरांत इनमें कोई बदलाव संभव नहीं होगा तथा किसी भी गलती के लिए प्रार्थी स्वंय जिम्मेवार होगा। उपरोक्त सभी सूचनांए पोर्टल पर भरने के बाद प्रार्थी को उपयोगकर्ता/पासवर्ड का SMS दिए गए मोबाईल नं0 पर प्राप्त होगा। प्रार्थी को यह विशेष हिदायत दी जाती है कि वे अपने पंजीकरण का पासवर्ड गोपनीय रखें तथा उसे अपने तक ही सीमित रखें ताकि कोई अन्य इसका दुरूपयोग न कर सके तथा इसके लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

5. ऑनलाईन दाखिले का पंजीकरण केवल एक बार ही किया जाएगा तथा यह पहले चार चरणों में ऑनलाईन काउंसलिंग के लिए मान्य होगा। विभाग के पास किसी भी दाखिला चरण के पश्चात नए आन–लाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित करने की प्रकिया आरम्भ करने का अधिकार सुरक्षित है।

6. सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद प्रार्थी अपने भरे गए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लें तथा इसे अपने पास सुरक्षित रखें। इसके साथ प्रार्थी पंजीकरण के लिए बनाया पासवर्ड भी सुरक्षित रखें।

7. केवल उन्हीं आवेदन पत्रों को दाखिले हेतु स्वीकार किया जाएगा जिनका कांउसलिंग शुल्क निर्धारित समय सीमा में जमा किया गया है।

8. फीस जमा करवाने के बाद प्रार्थी कांउसलिंग पोर्टल पर दोबारा लॉगिन करें तथा दाखिले हेतु अपनी इच्छानुसार व्यवसायों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का चयन करते हुए उन्हें अपनी वरीयता अनुसार कम में लगाएं।

पंसद अनुसार व्यवसाय तथा संस्थान चुनना

9 प्रार्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अलग–2 व्यवसायों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का चयन कर सकते हैं। प्रार्थियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे व्यवसाय/संस्थान के ज्यादा से ज्यादा (अधिकतम 15) विकल्प भरें ताकि उन्हें पहली ही कांउसलिगं में सीट आंबटित हो सके।

10 प्रार्थियों को अपनी पसंद अनुसार चुने गए व्यवसायों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को वरीयता के कम में लगाकर एक निर्धारित तिथि तक लॉक करना अनिवार्य है ताकि यह सूचना सीट आवंटन/योग्यता सूची तैयार करने हेतु उपलब्ध हो सकें। प्रार्थियों को समय–समय पर SMS द्वारा सूचित किया जाएगा कि वे निर्धारित तिथि से पहले अपने द्वारा दिए गए विकल्पों को दाखिला वैबसाईट पर जमा करा दें।

सीट आवंटन

11 ऑनलाईन दाखिले के लिए पंजीकरण की अवधि समाप्त होने के पश्चात निर्धारित की गई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंको के आधार पर योग्यता सूची तैयार की जाएगी तथा वरीयता अनुसार सीटों का आवंटन किया जाएगा। यह आबंटन प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता, आरक्षित वर्ग, चुने गए व्यवसाय/संस्थान तथा संस्थानों में दाखिले के लिए उपलब्ध सीटों पर निर्भर होगा। यह सीट आबंटन पूर्णतयाः अस्थायी होगा।

मैरिट सूची तथा सीट आंवटन

12 मैरिट सूची के आधार पर किया गया सीट आवंटन निर्धारित तिथि को घोषित किया जाएगा तथा यह दाखिला वैबसाईट पर उपलब्ध होगा। इसके साथ ही प्रार्थी ऑनलाईन कांउसलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर अपने अस्थायी सीट आवंटन पत्र की प्रति ले सकते हैं।

(यह सीट आवंटन पूर्णतया :अस्थायी है तथा प्रार्थी के शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी मूल प्रमाण–पत्रों की जांच पड़ताल, मूल दस्तावेजों की पुष्टि उपरान्त एवं दाखिला शुल्क जमा करवाने पर निर्भर है)

सीट आवंटन की सूचना सभी प्रार्थियों को SMS द्वारा भी प्रदान की जाएगी जिन्होनें पंजीकरण के समय अपना सही मोबाईल नंबर दिया है।

दाखिले के लिए संस्थान में रिपोर्ट करना

13 यदि प्रार्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी प्रमाण–पत्र सही / पूर्ण पाए जाते हैं तो दाखिला शुल्क ऑनलाईन जमा करने के बाद सम्बन्धित संस्थान प्रार्थी को दाखिला पत्र प्रदान करेगी।

(कोई भी दाखिला प्राप्त छात्र/छात्रा यदि कांउसंलिग में सीट आंवटन से संतुष्ट नहीं है तो वह आगामी कांउसलिंग में भाग ले सकता है। इस स्थिति मे छात्र/छात्रा का दाखिला रद्द कर दिया जाएगा और छात्र/छात्रा द्वारा दाखिले के लिए जमा करवाया गया शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा)।

निदेशक,
कौशल विकास एवं औद्योगिक
प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, पंचकूला

Annexure-A

(List of Engineering & Non-Engineering trades)

Sr. No.	Trade	Trade type	NSQF level	Course duration	Entry qualification	Unit Size
1	Advanced CNC Machining Technician	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination	24
2	Architectural Draugthsman	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	24
3	Baker & Confectioner	Non-Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination	24
4	Wood Work Technician	Engg	3	1 Yr	Passed 8th class examination	24
5	Catering & Hospitality Assistant	Non-Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination or its equivalent.	20
6	Computer Aided Embroidery and Designing	Non-Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination	24
7	Computer Hardware & Network Maintenance	Non-Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	24
8	Computer Operator and Programming Assistant	Non-Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination	24
9	**Cosmetology**	Non-Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination	24
10	Data Entry Operator	Non-Engg	3	6 mnts	Passed 10th class examination	24
11	Dental Laboratory Equipment Technician	Non-Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination	24
12	Desktop Publishing Operator	Non-Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination	24
13	Draughtsman (Civil)	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination	24
14	Draughtsman (Mechanical)	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	20
15	Dress Making	Non-Engg	3	1 Yr	Passed 8th class examination	20

16	Drone Technician*	Non-Engg	3	6 mnts	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	24
17	Electrician	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	20
18	Electronics Mechanic	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	24
19	Electroplater	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	20
20	Fashion Design & Technology	Non-Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination	20
21	Fibre to Home Technician*	Non-Engg	3	6 mnts	Passed 10th class examination	24
22	Fire Technology and Industrial Safety Management	Non-Engg	3	1 Yr	a. Passed class 10th class Examination or its equivalent b. The minimum physical requirements are i. Height - 165 cm ii. Weight - 52 kg iii. Chest - Normal 81 cm - Expanded 85 cm iv. A registered MBBS doctor must certify that the candidate is medically fit to undertake the course	24
23	Fitter	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	20
24	Food Production (General)	Non-Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination	24
25	Food & Beverages Service Assistant	Non-Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination or its equivalent.	20
26	Footwear Maker	Non-Engg	3	1 Yr	Passed 8^{th} class examination	20
27	Forger & Heat Treater	Non-Engg		1 Yr	Passed 10th class examination	20
28	Foundryman	Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination	24

29	Geo Informatics Assistant	Non-Engg	4	1 Yr	Passed 12th class examination with Mathematics in matriculation	24
30	Geriatric (Old age) Care	Non-Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination or its equivalent.	24
31	Health Safety & Environment	Non-Engg	3	1 Yr	a) Passed class 10 Examination b) The minimum physical requirements are i. Height - 165 cm ii. Weight - 52 kg iii. Chest - Normal 81 cm - Expanded 85 cm iv. A registered MBBS doctor must certify that the candidate is medically fit to undertake the course	24
32	Health Sanitary Inspector	Non-Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination	24
33	Hospital House Keeping	Non-Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination	24
34	House keeper	Non-Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination	24
35	Information Communication Technology System Maintenance	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination	24
36	Information Technology Support Executive	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or its equivalent	24
37	Instrument Mechanic	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	24
38	Interior Design & Decoration	Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	24
39	Laboratory Assistant (Chemical Plant)	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	20
40	Leather Goods Maker	Non-Engg	3	1 Yr	Passed 8^{th} class examination	20
41	Lift and Escalator Mechanic	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination	24

42	Litho Offset Machine Minder	Non-Engg		1 Yr	Passed 10th class examination	20
43	Machinist	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	20
44	Machinist (Grinder)	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	20
45	Mechanic (Motor Vehicle)	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	24
46	Mechanic Electric Vehicle	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination	24
47	Mechanic (Tractor)	Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	20
48	Mechanic Agricultural Machinery	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	24
49	Mechanic Auto Body Painting	Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination	20
50	Mechanic Auto Body Repair	Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination	20
51	Mechanic Consumer Electronics Appliances	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	24
52	Mechanic Diesel	Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	24
53	Mechanic Lens/Prism Grinding	Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	16
54	Mechanic Machine Tool Maintenance	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	24

56	Mechanic Two & Three Wheeler	Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or its equivalent	20
57	Multimedia Animation & Special Effects	Non-Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination	24
58	Operator Advanced Machine Tool	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	16
59	Painter General	Engg	4	2 Yrs	Passed 8th class examination	20
59	Physiotherapy Technician	Non-Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination	24
60	Plastic Processing Operator	Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	20
61	Plumber	Engg	3	1 Yr	Passed 8th class examination	24
62	Plywood Manufacturing	Engg		1 Yr	10th passed	20
63	Radiology Technician	Non-Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination	20
64	Refrigeration & Air-conditioning Technicain	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	24
65	Sewing Technology	Non-Engg	3	1 Yr	Passed 8th class examination	20
66	Sheet Metal Worker	Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination	20
67	Soil Testing & Crop Technician	Non-Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	24
68	Solar Technician (Electrical)	Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination	20
69	Stenographer & Secretarial Assistant (English)	Non-Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination	24
70	Stenographer & Secretarial Assistant (Hindi)	Non-Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination	24
71	Surface Ornamentation Techniques (Embroidery)	Non-Engg	3	1 Yr	Passed 8th class examination	20

72	Surveyor	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination	24
73	Technician Electronics System Design & Repair*	Engg	4	2 yrs	10th passed	24
74	Technician Mechatronics	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	24
75	Technician Power Electronic System	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	24
76	Textile Wet Processing Technician	Engg	4	2 yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	20
77	Tool & Die Maker (Dies & Moulds)	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	24
78	Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures)	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	24
79	Turner	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	20
80	Warehouse Technician	Engg	3	1 Yr	Passed 10th class examination	20
81	Weaving Technician	Engg	4	2 Yrs	Passed 10th class examination	24
82	Welder	Engg	3	1 Yr	Passed 8^{th} class examination	20
83	Welder (Fabrication & Fitting)	Engg	3	1 Yr	Passed 8^{th} class examination	20
84	Welder (GMAW & GTAW)	Engg	3	1 Yr	Passed 8^{th} class examination	20
85	Welder (Pipe)	Engg	3	1 Yr	Passed 8^{th} class examination	20
86	Welder (Welding & Inspection)	Engg	3	1 Yr	Passed 8^{th} class examination	20
87	Wireman	Engg	4	2 Yrs	Passed 8^{th} class examination	20
88	5G Network Technician	Non Engg.	4.5	1 Yrs	Passed 12th class examination with Physics and Mathematics	24

					or with vocational subject in same sector or its equivalent	
89	Artificial Intelligence Programming Assistant	Non Engg.	3.5	1 Yrs	Passed 10th class examination	24
90	Drone Pilot (Junior)	Non Engg.	3	6 Month	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or with vocational subject in same sector or its equivalent.	24
91.	Cyber Security Assistant	Non Engg.	3.5	1 Yrs	Passed 10th class examination	24
92.	Semiconductor Tecnician	Engg.	4.5	1 Yrs	Passed 12th class examination with science (physics & Mathematics) or equivalent.	24
93	Green Hydrogen Production Technician	Engg.	3.5	1 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or its equivalent.	20

Note:- 1. Trade wise PWD category eligibility may be checked fom Department website before applying for admission (DGT letter no. MSDE-19/02/2018-CD (pt) dated 02.07.2019 on trade eligibility of bench mark disabilities as per RPWD Act, 2016).

2. * minimum entry age is 16 years

Annexure-B

Detail of DST MoUs of NCVT units for session 2025-26/2025-27 (for one year & two year trades)

Sr. No.	Name of ITI	Name of Trade for DST	No. of units for which MoU signed	Name of the industry and Complete Address of Industry (along with District and State)	Whether Hazardeous/ Non-Hazardeous
1	**Adampur**	Electrician	1	Electromech Power India Pvt. Ltd., Bhadra Road, Adampur, Hisar, Haryana	Non-Hazardeous
		Welder	1		
		Mechanic Diesel	1	Vipin Motors Pvt. Ltd., 4th KM Sirsa Road, Hisar, Haryana	Non-Hazardeous
				ABC Motors, NH9 Village Dhanger, Distt. Fatehabad, Haryana	Non-Hazardeous
				Mohan Fourwheel Pvt. Ltd., NH9 Village Chikanwas, Hisar, Haryana	Non-Hazardeous
		Mechanic Tractor	1	Shiv Tractors, Tehsil Road, Mandi Adampur, District Hisar, Haryana	Non-Hazardeous
				Viraj Automobiles, Near Goyal Petrol Pump, Adampur, Distt. Hisar, Haryana	Non-Hazardeous
				Kissan Tractors, Fatehabad Road, Bhattu Mandi, Distt. Fatehabad, Haryana	Non-Hazardeous
		Electronic Mechanic	1	New Age Wheels, Hanuman Mandir, Mandi Adampur, Distt. Hisar, Haryana	Non-Hazardeous
2	**Adampur(W)**	Dress Making	1	The Tailor Factory, Shop No. 1, Adampur Road, Agroha, Hisar, Haryana	Non Hazardous
3	**Ambala City**	Mechanic Motor Vehicle	1	Haryana Roadways, Ambala Workshop, Near Agarsain Chowk, Ambala City, Ambala, Haryana	Non-Hazardeous
		Mechanic Diesel	1		
		Painter (G)	1	Charvi Motor Pvt. Ltd., Tepla (Ambala Cantt.), District Ambala, Haryana	Non-Hazardeous
				Steel Strips Wheels Ltd., vill - Samalheri / Lehli P.O. - Dapper, Mohali , Punjab	Hazardeous
		Welder	1	Steel Strips Wheels Ltd., vill - Samalheri / Lehli P.O. - Dapper, Mohali , Punjab	Non-Hazardeous
		Machinist	1		
		Instrument Mech.	1		
		Turner	1		
		Fitter	1		
		Fitter	1		

4	**Ambala City(W)**	DMC	1	Municipal Corporation, Jagadhari Gate, Ambala City, Ambala, Haryana	Non-Hazardeous
5	**Ambala Cantt.**	Machinist	1	Steel Strip and Wheels Ltd., Village Lehli/Somalheri, P.O. Dappar, Tehsil Derabassi, Distt. SAS Nagar, Punjab	Non-Hazardeous
		Fitter	1		
		Welder	1		
		Electrician	1		
6	**Asaudah**	Mechanic Motor Vehicle	1	Mohan Earth Movers LLP, 18 KM Stone Ghandhra Mor, Delhi Road, Rohtak, Haryana	Non Hazardous
7	**Bahadurgarh**	Machinist	1	Candour Technology Main Delhi-Rohtak Road, Village Jakhoda, Bahadurgarh, Haryana	Non-Hazardeous
		Mechanic Motor Vehicle	1	Haryana Roadways, Jhajjar Workshop at Haryana Roadways, Jhajjar, Haryana	Non-Hazardeous
		Mechanic Diesel	1	Haryana Roadways, Jhajjar Workshop at Haryana Roadways, Jhajjar, Haryana	Non-Hazardeous
		Electrician	3	Haryana Roadways, Jhajjar Workshop at Haryana Roadways, Jhajjar, Haryana	Non-Hazardeous
					Non-Hazardeous
		Fitter	2	Haryana Roadways, Jhajjar Workshop at Haryana Roadways, Jhajjar, Haryana	Non-Hazardeous
					Non-Hazardeous
8	**Balsamand**	Mechanic Diesel	2	Haryana Roadways, Hisar Bus Stand, Hisar, Haryana	Non-Hazardeous
		Mechanic Motor Vehicle	1		
		Wood Work Technician	1		
		Welder	1	Electromech Power India Pvt. Ltd., Mandi Adampur, Hisar, Haryana	Non-Hazardeous
		Dress Making	1	Anand School Dress, Flat No. 9-10, Kamal Colony, Main Gali Azad Nagar, Hisar, Haryana	Non-Hazardeous
9	**Bapoli**	Mechanic Motor Vehicle	1	AARYAMAN AUTOMOBILES, 64, Industrial Area, Phase-1, Sector-25, Panipat	Non-Hazardeous
		Welder	1	The Panipat Co-Operative Sugar Mill Ltd., Village Dahar, Panipat	Non-Hazardeous
10	**Barara at Holi**	Welder	1	OSAW Agro Industries Pvt. Ltd. Plot No. 128-131, Sector-1, HSIIDC, Saha (Ambala)	Hazardeous
		Fitter	1	OSAW Agro Industries Pvt. Ltd. Plot No. 128-131, Sector-1, HSIIDC, Saha (Ambala), Haryana	Hazardeous
				Mars Edpal Instruments Pvt. Ltd., Plot NO. 81, HSIIDC, Ambala, Haryana	Hazardeous
		Electrician	1	Mars Electronics Pvt. Ltd., Plot No. 402, Phase-2, Sector-2, IGC, HSIIDC, Saha (Ambala), Haryana	Hazardeous
				Maffick Instrument Pvt. Ltd., #71, Sector-1, Phase-1, IGC, HSIIDC, Saha (Ambala), Haryana	Non-Hazardeous

11	**Barwala**	Painter (G)	1	Radha Doors, Unit-2nd, NH-52, VPO Behbalpur, Hisar, Haryana	Hazardous
		Wood Work Technician	1		
		Plumber	2	Public Health Engineering Department, Division No. 2, Barwala, District Hisar, Haryana	Non Hazardous
		Welder	2	Aman Vishavkarma Engg. Works, Behbalpur, District Hisar, Haryana	Hazardous
		Sewing Technology	1	Silver Star , Laxmi Vihar, Barwala, District Hisar, Haryana	Non Hazardous
		Sewing Technology	1	CEEN Sports Wear & Garments, Kakkar Market, Near Bus Stand, Barwala, District Hisar, Haryana	Non Hazardous
12	**Berli Kalan**	Electronic Mechanic	1	Calsonic Kansei Motherson Auto Products Pvt. Ltd., Plot No. 17, Sector-5, IMT Bawal, Rewari, Haryana	Hazardeous
		Welder	1	Caparo Maruti Ltd., Bawal, Plot No. 85-12, Sector-7, Bawal, Rewari, Haryana	Hazardeous
13	**Bhaproda**	Wireman	1	Indus Appliances Pvt. Ltd., Jakhoda, Bahadurgarh, Jhajjar, Haryana	Non-Hazardeous
		Electrician	1		
		Fitter	1		
		Machinist	1		
		Welder	1		
14	**Bharanpur**	Welder	1	Naraingarh Sugar Mills Ltd., Village Banondi, P.O. Shahzadpur, Tehsil Naraingarh, Distt. Ambala, Haryana	Hazardeous
		Sheet Metal Worker	1	SICHER Engineer India Pvt. Ltd., Sub Tehsil Shahzadpur, Tehsil Naraingarh, Village Kakar Majra, Bagwala Road, Ambala	Non-Hazardeous
		Welder	1		
15	**Bhiwani**	Mechanic Motor Vehicle	1	Haryana Roadways, Bhiwani	Hazardeous
		Fitter	1		
		Electrician	1		
		Wood Work Technician	1	Daniels Furniture, Naya Bazar, Bhiwani	Hazardeous
		Technician Power Electronics System	1	Chauhan Electronics, Near Loharu Fatak, Bhiwani	Hazardeous
16	**Bhiwani(W)**	Electronic Mechanic	1	Chauhan Electronics, Near Railway Crossing, Loharu Road, Bhiwani, Haryana	Non Hazardous
		Basic Cosmetology	1	Himanshi Beauty Parlour and Cosmetic, Kadam Hospital, Ram Chowk, Bhiwani, Haryana	Non Hazardous
				Hair & Looks Unisex Saloon, Near BEO Office, Park Colony, BTM Chowk, Bhiwani, Haryana	Non Hazardous
17	**Bhodia Khera**	RAC	1	Alfa Aircon, DSP Road, Near Indian Gas Agency, Fatehabad, Haryana	Non-Hazardeous
		Mechanic Diesel Engines	2	Haryana Roadways, Fatehabad, Bus Stand Fatehabada, Haryana	Non-Hazardeous

		Welder	2	Haryana Roadways, Fatehabad, Bus Stand Fatehabada, Haryana	Non-Hazardeous
18	**Bhirdana**	Sewing Technology	1	Sunita Under Garments, VPO Jhalnia, Distt. Fatehabad, Haryana	Non-Hazardeous
19	**Butana**	Fitter	1	Ch. Devi Lal Co-Operative Sugar Mills Ltd., Gohana at Ahulana	Non-Hazardeous
		Welder	1		
		Welder	1	Dangi Industries Pvt. Ltd., 6KM Milestone from Gohana Jind Road, Butana	Non-Hazardeous
20	**Chhara**	Welder	1	Jindal Lifestyle Limited, Village Rohad, Distt. Jhajjar, Haryana	Non-Hazardeous
		Electrician	1		
21	**Chautala**	Welder	1	U-Valset Industries Pvt. Ltd. , Shergarh, Tehsil Mandi Dabwali, Distt. Sirsa	Non-Hazardeous
22	**Devrala**	Wireman	1	Aggarwal Traders, VPO Dulheri, Tosham, Distt. Bhiwani	Non-Hazardeous
23	**Dubaldhan**	Welder	1	AVANTEC AIRCON PVT. LTD., Khewat No. 353, Khatoni No. 368, Kila No. 13/7/1(5-0), 8/1 (6-18), Rakba Tandaheri, Village Tandaheri, Tehsil Bahadurgarh, Distt. Jhajjar, Haryana	Non-Hazardeous
24	**Faridabad**	Wood Work Technician (Carpenter)	1	Hettich India Limited, Plot No. 2, DLF Industrial Estate Phase, Near NHPC Chowk Metro Station, Faridabad, Haryana	Hazardeous
		Tool & Die Maker	1	JBM Auto Limited, Plot No. 133, Sector-24, Faridabad, Haryana	Hazardeous
		Welder	1		
		Machinist	1	REVA Industries , Plot No. 28, Sector-25, Faridabad, Haryana	Hazardeous
		Turner	1		
		Mechanic Diesel	1	Haryana Roadways, Ballabgarh, Faridabad, Haryana	Hazardeous
		Mechanic Motor Vehicle	1		
		Electrician	1	PICL India Pvt. Ltd., Plot No. 619, Sector 69, IMT, Faridabad, Haryana	Hazardeous
		Electronic Mechanic	1		
		RAC	1	Sidwal Refrigeration Industries Pvt. Ltd., Plot No. 23, Sector-6, Faridabad, Haryana	Hazardeous
		Fitter	1		
		Machinist	1	Star Wire India Ltd. 21/4, Mathura Road, Ballabgarh, Faridabad	Hazardous
		Turner	1	Star Wire India Ltd. 21/4, Mathura Road, Ballabgarh, Faridabad	Hazardous
25	**Faridabad (W)**	Sewing Technology	1	PEE EMPRO Exports Pvt. Ltd., Plot No. 78, Sector-27A, Main Mathura Road, Faridabad, Haryana	Non-Hazardeous
		Dress Making	1		
		Sewing Technology	1	DHRUV Globals Limited, 14 Mile Stone, Delhi Mathura Road, Faridabad, Haryana, Haryana	Non-Hazardeous

	Farmana (sonipat)	Electrician	1	Brahma Auto Industries Pvt. Ltd., Khewat No. 265, Khater No. 305, Farmana, Tehsil Kharkhoda, District Sonipat, Haryana	Non-Hazardeous
26	**Fatehpur Biloch**	Fitter	1	Surya Shakti Vessels Pvt. Ltd., Asaoti Railway Station Road, Village Deeg, Ballabgarh, Faridabad, Haryana	Non-Hazardeous
27	**Ganaur**	Welder	1	Paruthi Engineers Pvt. Ltd., 52 KM Stone, Village Dhaturi, Distt. Sonipat, Haryana	Hazardeous
		Fitter	1		
		Turner	1	Gajinderghai Mining Equipment Pvt. Ltd., Plot No. 401, Barhi Industrial Area, Phase-2, Ganaur, District Sonepat, Haryana	Non-Hazardeous
		Machinist	1	RS Spring Industry, Plot No. 114, Phase-1, HSIIDC, Industrial Area, Barhi, Ganaur, Distt. Sonepat, Haryana	Non-Hazardeous
		Electrician	1	NOVACARE Appliances Pvt. Ltd., Plot No. 6, Sector-18, Phase-3, Barhi, Ganaur, Distt. Sonepat, Haryana	Non-Hazardeous
		Electronic Mechanic	1	NOVACARE Appliances Pvt. Ltd., Plot No. 6, Sector-18, Phase-3, Barhi, Ganaur, Distt. Sonepat, Haryana	Non-Hazardeous
28	**Gohana**	Fashion Design Technology	1	Riba Textiles Ltd., VPO Chidana, Gohana, District Sonepat, Haryana	Non-Hazardeous
		Fitter	2		
		Turner	2	Ch. Devi Lal Co-Operative Sugar Mill, Gohana, District Sonepat, Haryana	Non-Hazardeous
		Electrician	2	UHBVN, Gohana Division,District Sonepat, Haryana	Non Hazardous
29	**Gurugram**	Food Production (General)	1	Haldiram Mfg. Co. Pvt. Ltd., Village Kherki Daula, Delhi-Jaipur Highway, Gurugram, Haryana	Non-Hazardeous
		Mechanic Motor Vehicle	1	Prem Motors Pvt. Ltd., Plot No. 3, Opp. IDC Office, Sector-14, Gurugram	Non-Hazardeous
		Welder (Gas & Electric)	1	Caparo Maruti Ltd., Plot No. 7, Maruti Venture Complex , Sector-18, IV Udyog Vihar, Gurugram	Non-Hazardeous
		Fitter	1		
		RAC	1	Voltas Ltd., M-36, OLD DLF Colony, Sector-14, Gurugra, Haryana	Non-Hazardeous
		RAC	1		Non-Hazardeous
		Turner	1	Munjal Showa Ltd. Plot No. 9-11, Sector-18, Gurugram, Haryana	Hazardeous
		Fitter	1		
		Machinist	1		
		Welder (Gas & Electric)	1	Jay Bharat Maruti Ltd., Plot No. 5, Sector-18, Gurugram, Haryana	Non-Hazardeous

		Mechanic Diesel	1	Pasco Automobiles, Old Delhi Road, Sector-18, Gurugram, Haryana	Non-Hazardeous
30	**Gurugram (W)**	Sewing Technology	1	Krishna Labels Pvt. Ltd. (Blackberrys), Plot No. 162, Phase-1, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana	Non-Hazardeous
31	**Hansi**	Fitter	1	Khandewala Krishi Udyog, Near Truck Union, Tosham Road, Hansi, Distt. Hisar, Haryana	Hazardeous
		Electrician	1	Haryana Roadways, Workshop Hansi, District Hisar, Haryana	Non-Hazardeous
		Welder	1		
		Welder (GMAW/ GTAW)	1	Vishal Gram Udyog Mandal, GT Road, Hansi, Distt. Hisar, Haryana	Hazardeous
32	**Hansi(W)**	Sewing Technology	1	Bahar Hosiery Products, Ward No. 20, Near Truck Union, Tosham Road, Hansi	Non-Hazardeous
33	**Hassangarh**	Mechanic Motor Vehicle	1	Mohan Earth Movers LLP (JCB), 18 KM Stone, Ghandhra Mor, Delhi Road, Rohtak, Haryana	Non-Hazardeous
		Mechanic Tractor	1		
		Electrician	1		
		Wireman	1		
		Painter (G)	1	SnPC Machines Pvt. Ltd., Barona, District Sonpeat, Haryana	Non-Hazardeous
		Welder	1		
		COPA	1	Alienskart Web Private Limited, Barona, District Sonepat, Haryana	Non Hazardous
		Fitter	1	Universal Precision Screws, Kharawad Village Mod Road, Rohtak, Haryana	Non-Hazardeous
		Turner	1		
34	**Hisar**	Fitter	1	Jindal Supreme (India) Pvt. Ltd., Hisar 9TH STONE, DELHI ROAD, HISAR, Haryana	Hazardeous
		Mechanic Diesel	1	OM Diesels Pvt Ltd., 198, AUTO MARKET, HISAR, Haryana	Hazardeous
		Mechanic Tractor	1		
		RAC	1	Ashoka Engineers	Hazardeous
		Electronic Mechanic	1		
		Turner	1	Jindal Polybuttons Pvt. Ltd., Hisar	Hazardeous
		Mechanic Motor Vehicle	1	Haryana Roadways Hisar Bus Stand, Hisar, Haryana	Hazardeous
		Wood Work Technician	1		
		Electrician	1		
		Mechanic Tractor	1		
		Machinist	1		
		Welder	1		
		COPA	1		
		Surveyor	1	HSVP, Division No. 1, Sector-13, Tosham Road, Hisar, Haryana	Hazardeous
		DMC	1		
		Plumber	1	Public Health Engineering Department, Oppsote ND Gupta Hospital, Model Town, Hisar, Haryana	Hazardeous
		Mechanic Diesel	1	Panchmukhi Automobile, Rajgarh Road, Gangwa, Hisar, Haryana	Hazardeous
35	**Hisar(W)**	COPA	1	Alpha Technology, Near Bus Stand, Rishi Nagar, Hisar	Non-Hazardeous
36	**Hathin**	Mechanic Diesel	1	Haryana Roadways, Palwal	Non-Hazardeous

		Fitter	1	Sugar Mills, Palwal	Non-Hazardeous
37	**Jhajjar**	Sewing Technology	1	UNIPARELS Pvt. Ltd. Opposite Old Bus Stand, Jhajjar, Haryana	Non-Hazardeous
		Mechanic Tractor	1	Farmtrac Tannu Automobiles, Near Kosli Chowk, Rewari Byepass, Jhajjar, Haryana	Non-Hazardeous
		Mechanic Diesel	1	Haryana Roadways, Jhajjar	Non-Hazardeous
		Wood Work Technician (Carpenter)	1		
		Mechanic Motor Vehicle	1		
		Welder	1		
		DMC	1	District Town Planner, Jhajjar Phase-II, 1st Floor, Mini Secretariat, Jhajjar, Haryana	Non-Hazardeous
				RLI Water Services Division, Jhajjar o/o Irrigation & Water Resource Department, Haryana, Talao Road, Sinchai Bhawan, 2nd Floor, Jhajjar, Haryana	Non-Hazardeous
38	**Jhajjar(W)**	Sewing Technology	1	Uniparels Pvt. Limited, Opposite Old Bus Stand, Jhajjar, Haryana	Non-Hazardeous
39	**Jind**	Mechanic Diesel	1	Haryana Roadways, Jind, Near Gohana Byepass, Pindara, Jind, Haryana	Hazardeous
		Mechanic Motor Vehicle	1		
		Fitter	1	The Jind Coop. Sugar Mill Ltd., Jind, Haryana	Hazardeous
		Welder	1	Shona Agri Solutions, Plot No. 7, HSIIDC Jind, Haryana	Hazardeous
		Welder	1		
40	**Kalanaur**	Welder	1	Haryana Roadways, Bhiwani	Non-Hazardeous
		Fitter	1		
41	**Kaithal**	Electrician	1	The Kaithal Coop. Sugar Mills Ltd., Kaithal, Haryana	Non-Hazardeous
		Electrician	1		Non-Hazardeous
		Fitter	1		Non-Hazardeous
		Fitter	1		Non-Hazardeous
		Welder	1		Non-Hazardeous
		Welder	1		Non-Hazardeous
		Mechanic Motor Vehicle	1	Haryana Roadways, Kaithal District Kaithal, Haryana	Non-Hazardeous
		Welder	1	Haryana Roadways, Kaithal Opp. Hanuman Vatika, main By-Pass, New Bus Stand, Kaithal, Haryana	Non-Hazardeous

42	**Kaithal(W)**	COPA	1	ZED King Educational Trust, Pehowa Chowk, Kaithal	Non-Hazardeous
43	**Kalka at Bitna**	Machinist	1	Milestone Gears Pvt. Ltd., plot No. 11-12, HSIIDC, Kalka, District Panchkula, Haryana	Non-Hazardeous
				Raja Gears Pvt. Ltd., Plot No. 380, Industrial Area, Phase-1, Panchkula, Haryana	Non-Hazardeous
		Turner	1	Raja Gears Pvt. Ltd., Plot No. 380, Industrial Area, Phase-1, Panchkula, Haryana	Non-Hazardeous
		Mechanic Diesel	1	Haryana Roadways, Panchkula, Haryana	Non-Hazardeous
		Mechanic Diesel	1		
		Welder	1	Sukanta Tractor Parts Pvt. Ltd., Plot No. 211, Industrial Area, Phase-2, Panchkula, Haryana	Non-Hazardeous
		Fitter	1	MT Autocraft Systems Pvt. Ltd., Village Naryal, Sector-4, Parwanoo, Himachal Pradesh	Non-Hazardeous
		Wood Work Technician	1	Martins Impex Pvt. Ltd., Plot No. 266, Industrial Area, Phase-II, Panchkula, Haryana	Non-Hazardeous
				SKYVUE FENESTRATION, Plot No. 151, Vasudevpura, Behind RadheShyam Gaushala, Kalka, Distt. Panchkula, Haryana	Non-Hazardeous
44	**Karnal**	Welder	1	INDO Farm Implements (P) Ltd., Plot No. 341, Sector-3, Karnal, Haryana	Hazardeous
				Piara Singh & Sons, Plot No. 300, Sector-3, Karnal, Haryana	Hazardeous
				Pair Agroking Pvt. Ltd. Plot No. 229-230, Sector-3, HSIIDC, Karnal, Haryana	Hazardeous
		Wood Work Technician	1	Bharat Fruniture Pvt. Ltd. Fruniture Market, GR Road, Karnal, Haryana	Hazardeous
				DORTE INTERIORS, Plot No. 2393, Sector-32, Karnal, Haryana	Hazardeous
				MEBLE Modulars Pvt. Ltd., 72/69, Danialpur Road, Opp. Nishan Public School, Karnal, Haryana	Hazardeous
		Mechanic Tractor	1	Patil & Company, Meerut Road, Karnal, Haryana	Hazardeous
		Mechanic Diesel	2	Haryana Roadways, Old Bus Stand, Karnal, Haryana	Hazardeous
		Catering & Hsopitality Assistant	1	Haryana Tourism Corp., Karnal Lake, Opp. Uchana Village, NH-44, Karnal Lake, Karnal, Haryana	Hazardeous
				Hotel AANGAN, Opp. Khalsa College, Railway Road, Karnal, Haryana	Non-Hazardeous

		Food Production (General)	1	Haryana Tourism Corp., Karnal Lake, Opp. Uchana Village, NH-44, Karnal Lake, Karnal, Haryana	Hazardeous
				Hotel AANGAN, Opp. Khalsa College, Railway Road, Karnal, Haryana	Non-Hazardeous
		Wireman	1	NODAL Engineering Pvt. Ltd., Plot No. 32, GF, Sector-3, HSIIDC, Karnal, Haryana	Hazardeous
		Fitter	1	THE KARNAL CO-OPERATIVE SUGAR MILLS LTD., Karnal 3 KM Stone, Meerut Road, Karnal, Haryana	Hazardeous
		Electrician	1	THE KARNAL CO-OPERATIVE SUGAR MILLS LTD., Karnal 3 KM Stone, Meerut Road, Karnal, Haryana	Hazardeous
		Mechanic Diesel	1	STAR Automobile, Tata Motors, Opp. Sugar Mills, Meerut Road, Karnal, Haryana	Hazardeous
		Health Sanitary Inspector	1	The Municipal Corporation, Karnal Sector-12, Karnal, Haryana	Hazardeous
45	**Karnal(W)**	Electronic Mechanic	1	Mansa Solar Energy, 98-99, Jarnally Kothi, Dayal Singh College, Karnal	Non-Hazardeous
		COPA	1	Pawar Technologies, SCO 105, Mugal Canal, Karnal	Non-Hazardeous
				Simtach Automation, Plot No. 13, Indra Colony, Karnal	Non-Hazardeous
		Sewing Technology	1	Gauri Shakti Fashions, V.P.O. Newal,Karnal	Non-Hazardeous
		Sewing Technology	1		
		Surface Ornamentation Technique	1		
		DMC	1	Central Tool Room, Ludhian (Extension Centre, Karnal)	Non-Hazardeous
		Dress Making	1	Dreamz Traders, Village Daliyan Pur, Karnal	Non-Hazardeous
		Dress Making	1		
46	**Kathura**	Wireman	1	UHBVN, Gohana Division,Meham Road Gohana, District Sonepat, Haryana	Non-Hazardeous
47	**Kharkhoda**	Wood Work Technician	1	Ajit Industries Pvt. Ltd., 52/14, JATOLA ROAD, SAIDPUR, Sonipat, Haryana	Non-Hazardeous
		Electrician	1		
		Mechanic Motor Vehicle	1	Jagmohan Automotives Pvt. Ltd., DELHI BAHALGARH ROAD, OPP. POWER HOUSE, SONIPAT, Haryana	Non-Hazardeous
		Welder	1	BC Infra Projects Pvt. Ltd.	Non-Hazardeous
48	**Kiloi**	Turner	1	Bhagwan Automatic Pvt. Ltd., Plot No. 26-27, Sector-31 B, Phase-1, IMT, Rohtak, Haryana	Non-Hazardeous
		Machinist	1		
		Fitter	1		
49	**Kundmanethi**	Electrician	1	TXD (India) Technology Pvt. Ltd., Plot No. 2, Sector-8, IMT Bawal, Rewari, Haryana	Non-Hazardeous
		Electrician	1		

		Welder	1	Caparo Maruti Ltd., Bawal, Plot No. 85-12, Sector-7, Bawal, Rewari, Haryana	Hazardeous
		Welder	1		
		Fitter	1	Munjal Auto Industries Ltd., Plot No. 37, Sector-5, IMT Bawal, Rewari, Haryana	Hazardeous
		RAC	1	Mark Tech Polymers Pvt. Ltd., Ghiloth (Neemrana), Rajasthan	Hazardeous
		RAC	1		
		Mechanic Motor Vehicle	1	Maruti Suzuki Dinco 4 Wheels LLP, Bawal Road, Rewari	Hazardeous
		Mechanic Motor Vehicle	1		
		Fitter	1	Calsonic Kansei Motherson Auto Products Pvt. Ltd., Plot No. 17, Sector-5, IMT Bawal, Rewari, Haryana	Hazardeous
		Turner	1		
		Turner	1		
50	**Kurukshetra**	Wood Work Technician	1	INCOS Woodtech, Ladwa Road, Bir Pipli, Kurukshetra, Haryana	Non-Hazardeous
		Electrician	1	INCOS Woodtech, Ladwa Road, Bir Pipli, Kurukshetra, Haryana	Non-Hazardeous
				Kabir Engg. Works, PLOT NO. 48, SHIVPURI ROAD, KISHANPURA, PIPLI , KURUKSHETRA, Haryana	Non-Hazardeous
				Ishan Bright Energy (OPC) Pvt. Ltd.	Non-Hazardeous
				The Shahbabd Coop. Sugar Mills Ltd., Shahbad, District Kuruskhetra, Haryana	Hazardeous
		Welder	1	INCOS Woodtech, Ladwa Road, Bir Pipli, Kurukshetra, Haryana	Non-Hazardeous
				The Shahbabd Coop. Sugar Mills Ltd., Shahbad, District Kuruskhetra, Haryana	Hazardeous
				Ganpati Auto Traders, BAJIDPUR, PIPLI, District Kurukshetra, Haryan	Non-Hazardeous
				Azad Industry, VILLAGE BHWANI KHERA, JHANSA ROAD, Kurukshetra, Haryana	Hazardeous
		Mechanic Tractor	1	Vishwakarma Automobiles, Pipli, District Kurukshetra, Haryana	Non-Hazardeous
				Dashmesh Tractors, Near New Grain Market, Kurukshetra, Haryana	Non-Hazardeous
				Jaswant Singh & Sons, Pipli Road, Kurukshetra, Haryana	Non-Hazardeous
				Harnam Singh & Sons, SALARPUR ROAD, KURUKSHETRA, Haryana	Non-Hazardeous
		Machinist	1	Ganpati Auto Traders, BAJIDPUR, PIPLI, District Kurukshetra, Haryan	Non-Hazardeous
51	**Madina**	Fitter	1	The Meham Co-Op. Sugar Mills Ltd. Meham, NH-44, BMP,	Non-Hazardeous
		Turner	1		

		Electrician	1	Rohtak	
		Welder	1		
		Machinist	1	P. Dass Forging Pvt. Ltd., Sainik Colony Hisar, Bhiwani Link Road, Rohtak, Haryana	Non-Hazardeous
52	**Madlauda**	Electrician	1	Shiva Automation System, VPO Brahman Majra, Panipat, Haryana	Non-Hazardeous
53	**Matanhail**	Mechanic Motor Vehicle	1	SUBROS Ltd., Plot No. 395-396, Sector-8, Manesar, Gurugram	Non-Hazardeous
		Mechanic Motor Vehicle	1		
		Mechanic Diesel Engine	1		
		Mechanic Diesel Engine	1		
		Welder	1		
		Welder	1		
		Welder	1		
54	**Nalwa**	COPA	2	Management Infotech System, # 1876, Rampura Mohalla, Opp. Railway Station, Main Gate, Hisar, Haryana	Non-Hazardeous
		Welder	1	Datta Agro Works, Tosham Road, Hansi, District Hisar, Haryana	Hazardeous
55	**Narnaul**	Sheet Metal Worker	1	Haryana Roadways, Narnaul, District Mahendergarh	Non-Hazardeous
		Mechanic Motor Vehicle	1		
		Wood Work Technician	1		
		Welder	1		
		Painter (G)	1		
56	**Narwana**	Sewing Technology	1	Deep Sports Wear, Model Town, Narwana, District Jind, Haryana	Non-hazardous
		Mechanic Motor Vehicle	1	Haryana Roadways, Narwana, Gohana Road, Jind, Haryana	Hazardous
57	**Nathusari Chopta**	Welder	1	Haryana Roadways, MC Colony, Sirsa	Non-Hazardeous
		Wood Work Technician	1		
		Painter (G)	1		
58	**Nuh**	Machinist	1	SRS Diecasting Pvt. Ltd., 132, Rozka Meo Industrial Estate, Sohna, District Nuh	Non-Hazardeous
		Turner	1		
		Mechanic Diesel Engine	1	Sunil Motors, Delhi Alwar Road, Nuh	Non-Hazardeous
59	**Pali**	Welder	1	Sidwal Refrigeration Industries Pvt. Ltd., Plot No. 23, Sector-6, Faridabad, Haryana	Non-Hazardeous
		Electrician	1		
60	**Palwal**	Wood Work Technician (Carpenter)	1	Hettich India Limited, Plot No. 2, DLF Industrial Estate Phase, Near NHPC Chowk Metro Station, Faridabad, Haryana	Non-Hazardeous
		Welder	1	Venus Industrial Corp., Prithla, Palwal, Haryana	Non-Hazardeous
		Tool & Die Maker	1		
		Fitter	1	Shivanki Locks Pvt. Ltd., Prithla, Palwal, Haryana	Non-Hazardeous

61	**Panchkula**	Catering & Hsopitality Assistant	1	Hotel Pallavi Grand, Site 16, Sector-5, Panchkula, Haryana	Non-Hazardeous
		Food Production (General)	1		
		Catering & Hsopitality Assistant	1	Hotel Pallavi West, SCO-5, Sector-16, Panchkula, Haryana	Non-Hazardeous
		Food Production (General)	1		
		Cosmetology	1	About U Unisex Salon, DSS-263, Sector-20, Panchkula, Haryana	Non-Hazardeous
62	**Panipat**	Mechanic Motor Vehicle	1	Shri Luxmi Motor, 99 Arya Nagar, GT Road, Panipat, Haryana	Hazardeous
		Turner	1	UPC Instruments Pvt. Ltd., Plot No. 125, Dhinger Majra Road, Gharunda, Karnal, Haryana	Hazardeous
		Tool & Die	1		
		Machinist	1	Aadi International, Panipat, Haryana	Hazardeous
		Sheet Metal Worker	1	Haryana Roadways, Panipat	Non-Hazardeous
		Sheet Metal Worker	1		
		Wood Work Technician	1		
		Wood Work Technician	1		
		Welder	1		
		Welder	1		
		RAC	1	Varun Beverages Ltd., GT Road, Village Aliasgarpur, Panipat, Haryana	Hazardeous
		Fitter	1	Riviera Home Furnishings Pvt. Ltd., Plot No. 235-237, Sector-29, Part-II, HUDA, Panipat, Haryana	Hazardeous
		Electrician	1	C B Electrics India Pvt. Ltd. Khasra No. 62/7, Opposite ITI, GT Road, Panipat, Haryana	Hazardeous
		Wireman	1		
		Mechanic Consumer Electronics Appliances	1		
		Technician Power Electronics System	1		
63	**Panipat(W)**	Sewing Technology	1	Mahajan Overseas Pvt. Ltd., Panipat, Post Box No. 15, Industrial Area, Panipat, Haryana	Non-Hazardeous
64	**Pehowa**	RAC	1	Anurag Care Center, Opposite Post Office, Near Anaj Mandi, Pehowa, District Kurukshetra, Haryana	Hazardeous
		Mechanic Motor Vehicle	1	Haryana Roadways, Pehowa, Bus Stand, Pehowa, Distt. Kurukshetra, Haryana	Hazardeous
65	**Pundri**	Painter (G)	1	Haryana Roadways, Kaithal	Non-Hazardeous
		Electrician	1		Non-Hazardeous
		Welder	1	Jindal Engineering Works, NH-65, Jind Road Byepass, Kaithal, Haryana	Non-Hazardeous

66	**Raipur Rani**	Electrician	1	India Circuits Pvt. Ltd., Plot No. 1&2, HSIIDC, Industrial Estate, Alipur, Barwala, Panchkula, Haryana	Non-Hazardeous
67	**Rajlugarhi**	Fitter	1	Arjan Impex Pvt. Ltd., 54, Mile stone, GT Karnal Road, Village Dhaturi, PO Bhigan, Sonepat	Non-Hazardeous
		COPA	1	Chaudhary Enterprises, Plot No. 1806-07, HSSIDC Industrial Estate, Rai, Sonepat	Non-Hazardeous
68	**Rakhi Shahpur**	Fitter	1	The Jind Coop. Sugar Mill Ltd., Jhanj kalan, Jind, Haryana	Hazardeous
69	**Rania**	COPA	1	The Rightway Education, Near Post Office, Dera Sacha Souda Road, Rania. District Sirsa	Non-Hazardeous
		Electrician	1	Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam (DHBVN), Jeewan Nagar Road, Rania, District Sirsa	Hazardeous
70	**Rawaldhi**	Mechanic Motor Vehicle	1	HaryanaRoadways, Main Bus Stand, Charkhi Dadri	Non-Hazardeous
		Mechanic Diesel Engine	1		
		Plumber	1	Public Health Engineering Deptt., Gali No. 3, Chamapauri, Charkhi Dadri	Non-Hazardeous
		Welder	1	BJD Construction Company, Bhiwani Road, Near Flyover, Charkhi dadri	Non-Hazardeous
71	**Rewari**	Welder	2	Technico Industries Ltd., Plot No. 19, Sector-6, Bawal, Rewari, Haryana	Hazardous
		Sheet Metal Worker	1		
		Electrician	1		
		Painter (G)	1		
72	**Rohtak**	Electronic Mechanic	1	V.M Electronics, Near Prem Nagar Chowk, Rohtak	Non-Hazardeous
				Peehu Electronics, Near Prem Nagar Chowk, Rohtak	Non-Hazardeous
		Food Production (General)	1	Haryana Tourism Corporation Limited Tilyar, Tilyar Complex, Delhi Road, Rohtak	Non-Hazardeous
				Haryana Tourism Corporation Limited Myna, Ashoka Plaza, Delhi Road, Rohtak	Non-Hazardeous
		Catering & Hsopitality Assistant	1	Haryana Tourism Corporation Limited Tilyar, Tilyar Complex, Delhi Road, Rohtak	Non-Hazardeous
				Haryana Tourism Corporation Limited Myna, Ashoka Plaza, Delhi Road, Rohtak	Non-Hazardeous
		Plumber	1	Public Health Enggineering Department, Division -1, Near Jhajjar Chungi, Rohtak	Non-Hazardeous
73	**Rohtak(W)**	Surface Ornamentation Technique	1	Jagvir Textile, Opposite Indian Bank, Kamla Nagar, Jhajjar Chungi, Rohtak, Haryana	Non-Hazardeous
74	**Sadhaura**	Machinist	1	United Precision Engg. Co., O-15, Industrial Area,Yamuna Nagar	Non-Hazardeous
		Mechanic Motor Vehicle	1	Metro Motors, Tejli gate, Near LIC Office, Jagadhari	Non-Hazardeous

				Haryana Roadways, Yamuna Nagar	Non-Hazardeous
		Electrician	1	Municipal Corporation, Yamuna Nagar-Jagadhari, District Yamuna Nagar, Haryana	Hazardous
75	**Rao Abhey Singh Govt. ITI Saharanwas**	Fitter	1	UCAL Limited (formerly known as UCAL Fuel Systems Ltd.), Plot No. 9, Sector-5, Industrial Growth Centre, Bawal, Rewari, Haryana	Hazardeous
		Turner	1		Hazardeous
76	**Salhawas**	Electrician	2	Amber Enterprises India Limited , 15 KM stone, Gurgaon Jhajjar Road, Jhjjar, Haryana	Hazardeous
		Wireman	1		
		RAC	1		
77	**Saraswati Nagar (Mustafabad)**	Welder	1	Globe Tech Process Equipment, Village Ahmedpur, Near Gujjar Dera, Saran Road, Distt. Yamuna Nagar, Haryana	Non-Hazardeous
		Fitter	1		Non-Hazardeous
78	**Santor**	Electrician	1	Public Health Engineering Deptt., Charkhi Dadri	Non-Hazardeous
79	**Sirsa**	Mechanic Motor Vehicle	1	Haryana Roadways, Sirsa	Non-Hazardeous
		Electrician	1		
		Mechanic Diesel	1		
		Welder	1		
		COPA	1	RHOMBAS EDUCATIONAL & TECHNICAL SOCIETY, #162, Gandhi Colony, Sirsa, Haryana	Non-Hazardeous
80	**Sirsa(W)**	COPA	1	Satya Information System, Near SBI Bank, Sirsa, Haryana	Non-Hazardeous
81	**Sohna**	Machinist	1	Roop Automotive Ltd. Plot no. 19, 20, 30 & 31, Rozka Meo, Industrial Area, Distt. Nuh, Haryana	Hazardeous
		Machinist	1		
		Fitter	1	Hi-Tech Enterprises Pvt. Ltd., Plot No. 77 & 78, Rojka Meo, District Nuh, Haryana	Hazardeous
82	**Sonipat**	Sheet Metal Worker	2	Guru Ram Dass Body Builders, 42-43, Mile Stones, NH-1, Bahalgarh, Industrial Zone, Sector-32, Village Assamabad, Sonipat, Haryana	Non-Hazardeous
		Electrician	3	Big Deeper Industries LLP Killa No. 34/9/2/10/2/2, Khewat No. 243 Khata No. 272, Village Safiyabad, Sonipat, Haryana	Non-Hazardeous
		Electronic Mechanic	2		
		Plumber	1	The Sonipat Coop. Sugar Mills Ltd., Kami Road, Sonipat, Haryana	Non-Hazardeous
		Stenographer (Hindi)	1		
		Stenographer (English)	1		
		Welder	1		
		Turner	2	JSG Innotech Pvt. Ltd., Plot No. 63, Sector-53, Phase-V, HSIIDC, Kundli, Sonipat, Haryana	Non-Hazardeous
		Tool & Die	1		
		Machinist	3		
		PPO	2		
		Welder	1		
		Fitter	2		
		Machinist Grinder	1		
		Painter (G)	1		

		Mechanic Diesel	2	Jagmohan Automotives Pvt. Ltd. Delhi Bahalgarh Road, Opposite Power House, Sonipat	Non-Hazardeous
83	**Sonipat (W)**	Sewing Technology	1	Bansal Uniforms, Sonepat	Non-Hazardeous
84	**Tankri**	Welder	1	Sankei Giken India Pvt. Ltd., Plot No. 84-93, Sector-6, Industrial Model Township, Bawal, District Rewari, Haryana	Hazardeous
85	**Tohana**	Fitter	1	Vishavkarma Engineering Works, Bhuna Road, Tohana, Distt. Fatehabad, Haryana	Non-Hazardeous
		Welder	2		
		Painter (G)	1		
86	**Tosham**	Electrician	1	Aggarwal Traders, VPO Dulheri, Tosham, Distt. Bhiwani, Haryana	Hazardeous
		Mechanic Motor Vehicle	1	Haryana Roadways, Tosham, District Bhiwani, Haryana	Hazardeous
		Food Production (General)	1	Hotel HSB Grand, Hansi Road, Bhiwani, Haryana	Non-Hazardeous
		Food Production (General)	1		
87	**Ujjina**	Welder	1	Hyline Auto Pvt. Ltd., Plot No. 34 & 44, Rozka Meo, Industrial Area, Distt. Nuh, Haryana	Hazardeous
88	**Yamuna Nagar**	Foundryman	1	ISGEC Heavy Engineering Ltd., Saharanpur Road, Yamuna Naagr	Non-Hazardeous
		Foundryman	1	ISGEC Heavy Engineering Ltd., Saharanpur Road, Yamuna Naagr	Non-Hazardeous
		Fitter	1	ISGEC Heavy Engineering Ltd., Saharanpur Road, Yamuna Naagr	Non-Hazardeous
		Mechanic Tractor	1	Sheela Motors, Bilaspur Road, Jagadhari, Yamuna Nagar	Non-Hazardeous
		PPO	1	Polyplastic Industries (India) Pvt. Ltd., O-15, INDUSTRIAL AREA, YAMUNA NAGAR	Non-Hazardeous
		PPO	1		
		Electroplator	1		
		Painter (G)	1		
		COPA	1	e Softwarwe Solutions, E-27, Street-1, Professor Colony, Yamunanagar	Non-Hazardeous
		Mechanic Motor Vehicle	1	Haryana Roadways, Main Bus Stand, Yamuna Nagar	Non-Hazardeous
89	**JIM, Uncha Majra**	Fitter	2	Maruti Suzuki India Limited	Non-Hazardeous
		Mechanic Motor Vehicle	2		
		Technician Mechatronics	2		
		Mechanic Diesel Engine	3		
		Mechanic Auto Body Painting	3		
		Mechanic Auto Body Repair	3		
		Welder	3		
		Electrician	2	Uno Minda Rika Pvt. Ltd., Manesar	Non-Hazardeous
		Electronic Mechanic	1		
			403		

Detail of DST MoUs of SCVT units for session 2025-26/2025-27 (for one year & two year trades)

Sr. No.	Name of ITI	Name of Trade for DST	No. of units for which MoU signed	Name of the industry and Complete Address of Industry (along with District and State)	Whether Hazardeous/Non-Hazardeous
1	**Adampur (W)**	Food Production (General)	1	LEMON TREE HOTEL, Old Courts Complex, Lajpat Nagar, Hisar, Haryana	Non-Hazardeous
2	**Ambala City**	Radiology Technician	1	Angel Diagnostic Centre, Sector-7, Opp. Doctor Colony, Ambala City	Non-Hazardeous
3	**Balsamand**	RAC	1	Imperial Refrigeration, Shop No. 2, Dogran Mohalla, Hisar, Haryana	Non-Hazardeous
4	**Bapoli**	Turner	1	The Panipat Co-Operative Sugar Mill Ltd., Village Dahar, Panipat	Non-Hazardeous
5	**Barana**	Electrician	1	The Panipat Co-Operative Sugar Mill Ltd., Village Dahar, Panipat	Non-Hazardeous
		Fitter	1		
6	**Barwala at Kanauli (Distt. Panchkula)**	Electronic Mechanic	1	India Circuits Pvt. Ltd., Plot No. 1&2, HSIIDC, Industrial Estate, Alipur, Barwala, Panchkula, Haryana	Non-Hazardeous
7	**Bastara**	Wireman	1	Mansa Solar Energy, 98-99, Jarnailly Kothi, Dayal Singh College Road, Karnal, Haryana	Non-Hazardeous
		Fitter	1	UPC Instruments Pvt. Ltd., Plot No. 125, Dhingar Majra Road, Gharaunda, Karnal, Haryana	Hazardeous
		Geriatric (old age care)	1	ARTIOS Hospital, Sector-7, Near Toll Plaza, GT Road, Panipat, Haryana	Hazardeous
8	**Bhaklana**	Mechanic Motor Vehicle	1	Haryana Roadways, Jind Near Bus stand, Near Pandu Pindara, Jind	Hazardeous

		Welder	1	Rasool Body Maker Village Anoopgarh, Rohtak Road, Jind	Non-Hazardeous
9	**Dubaldhan**	Dress Making	1	UNIPARELS Pvt. Ltd. 843, Deswal Complex, Jhajjar, Haryana	Non-Hazardeous
10	**Fatehpur Biloch**	Welder	1	Surya Shakti Vessels Pvt. Ltd., Asaoti Railway Station Road, Village Deeg, Ballabgarh, Faridabad, Haryana	Non-Hazardeous
		Electrician	1	PICL INDIA Pvt. Ltd., Plot No. 619, Sector-69, IMT, Ballabgarh, Faridabad	Non-Hazardeous
11	**Jeewannagar**	Wireman	1	Warivo Motor India Pvt. Ltd., KH NO. 827 MUR No. 366/16/2, Near Satluj Sport complex, Ellanabad, Sirsa	Hazardeous
12	**Hassanpur**	Mechanic Diesel	1	Haryana Roadways, Ambala	Non-Hazardeous
		Electrician	1		
13	**Hisar**	Warehouse Technician	1	Rajasthan Spare House, Hisar	Hazardeous
		Mechanic Motor Vehicle	1	Orion Motors Pvt. Ltd., Hisar	Hazardeous
		RAC	1	S.L. Services, Hisar	Hazardeous
14	**Jhajjar**	Electronic Mechanic	1	NAXSO BBT Pvt. Ltd., Reliance Metro City, Dadri toye, Jhajjar, Haryana	Non-Hazardeous
		Solar Technician	1	Bharat Sour Urja Kendra, dadri Bye Pass, Jhajjar, Haryana	Hazardeous
15	**Kansala**	Surveyor	1	Ashilya Consultants Pvt. Ltd. , 2134/34, Kunj Vihar Colony, Sunarian Road, Rohtak, Haryana	Non-Hazardeous
		Turner	1	Shivam Autotech Pvt. Ltd., Plot No. 9, Sector-30A, IMT, Rohtak, Haryana	Non-Hazardeous

16	**Kharkhoda**	Electronic Mechanic	1	Superhub Components Pvt. Ltd.	Non-Hazardeous
17	**Khudan**	Sewing Technology	1	UniparelS Pvt. Ltd. 843, Deswal Complex, Opp. Bus Stand, Jhajjar, Haryana	Non-Hazardeous
18	**Madlauda**	Welder	1	Shiva Automation System, VPO Brahman Majra, Panipat, Haryana	Non-Hazardeous
19	Maujabad	Fitter	1	SUBROS Limited	Non-Hazardeous
		Machinist	1		
20	**Pali**	Machinist	1	Petplast Packaging Pvt. Ltd., Plot No. 10, Astal Road, Near Marauti Nandan Dharam Canta, Bhakri, Pali Road, Faridabad, Haryana	Non-Hazardeous
		Fitter	1		
		Electrician	1		
		RAC	1	Sidwal Refrigeration Industries Pvt. Ltd., Plot No. 23, Sector-6, Faridabad, Haryana	Non-Hazardeous
21	**Panipat**	Textile Wet Processing Technician	1	ABC Impex Pvt. Ltd.	Hazardeous
22	**Purkhas**	Electrician	1	ODITI Home Appliances Pvt. Ltd., Khewat No. 15, Khatta No. 18, Reet & Keela No. 32, VPO Sanpera, Tehsil Ganaur, Sonipat	Non-Hazardeous
23	**Rajlugarhi**	Electrician	1	ODITI Home Appliances Pvt. Ltd., Khewat No. 15, Khatta No. 18, Reet & Keela No. 32, VPO Sanpera, Tehsil Ganaur, Sonipat	Non-Hazardeous
24	**Rania**	Wireman	1	Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam (DHBVN), Jeewan Nagar Road, Rania, District Sirsa	Hazardeous
25	**Rakhi Shahpur**	Welder	1	Shona Agri Colutions, 9 Mile Stone, Hansi Road, Jind, Haryana	Hazardeous

		RAC	1	Global Enterprises, Mini Bye Pass, Jind	Hazardous
26	**Rewari**	Sheet Metal	1	Technico Industries Ltd., No. 19, Sector-6, Bawal, Rewari, Haryana	Hazardous
		Tool & Die	1		
27	**Rothak**	Health Sanitary Inspector	1	M/s Municipal Corporation, Near Ambedkar Chock rohtak	Non Hazardous
		Physiotherapy Technician	1	M/s Civil Hospital ,Rohtak	Non Hazardous
				M/s Sunflag Global Hospital, Near Sheela bypas, sonipat road, rohtak	Non Hazardous
				M/s We Care Hospital, Sonipat Road, Vikash Nagar, rohtak	Non Hazardous
28	**Tankri**	Machinist	1	UCAL Limited, Plot No. 9, Sector-5, IMT Bawal, District Rewari, Haryana	Hazardeous
		Fitter	1	Sankei Giken India Pvt. Ltd., Plot No. 84-93, Sector-6, Industrial Model Township, Bawal, District Rewari, Haryana	Hazardeous
29	**Uchana Khurd**	Sewing Technology	1	Sport Star, Near Palwan Bus Stand, Uchana Mandi, Distt. Jind, Haryana	Non-Hazardeous
			47		

Note

(i) Trainees admitted in the trade units under DST will attend the training in the industry at their own cost. ITI/ Department shall not bear to & fro transportation cost in DST cases.

(ii) In view of the instruction/ approval of DGT, GoI any trade unit can be converted into DST at any instant.

Annexure-C

(52 PPP Govt. ITIs in which additional IMC fee of Rs. 600 per month is applicable on 20% of total seats except female trainees).

Sr. No	District	Govt. ITI name
1	Ambala	Govt. ITI Barara
2		Govt. ITI MC Ambala Cantt.
3	Bhiwani	Govt. ITI Bhiwani
4		Govt. ITI Bhiwani (W)
5		Govt. ITITosham (W)
6	Charkhi Dadri	Govt. ITI Charkhi Dadri(W)
7	Faridabad	Govt. ITI Pali
8		Govt. ITI Faridabad (W)
9	Fatehabad	Govt. ITI Tohana (W)
10	Gurugram	Govt. ITI Sohna
11		Govt. ITI Gurugram (W)
12	Hisar	Govt. ITI Adampur
13		Govt. ITI Barwala
14		Govt. ITI Nalwa
15		Govt. ITI Adampur (W)
16		Govt. ITI Hansi (W)
17		Govt. ITI Hisar (W)
18	Jhajjar	Govt. ITI Bahadurgarh
19		Govt. ITI Bhapprauda
20		Govt. ITI Bahadurgarh (W)
21		Govt. ITI Jhajjar (W)
22	Jind	Govt. ITI Jind (W)
23	Kaithal	Govt. ITI Kaithal
24		Govt. ITI Pundri
25		Govt. ITI Kaithal (W)
26	Karnal	Govt. ITI Ballah
27		GITI Nissing
28	Kurukshetra	Govt. ITI Kurukshetra
29		Govt. ITI Kurukshetra (W)
30	Mahendragarh	Govt. ITI Mahendergarh
31		Govt. ITI Narnaul
32		Govt. ITI Mahendergarh (W)

33		Govt. ITI Narnaul (W)
34	Nuh	Govt. ITI Ferozpur Zirka
35		Govt. ITI Nagina
36	Palwal	Govt. ITI Hathin
37	Panchkula	Govt. ITI Kalka at Bitna
38		Govt. ITI Kalka at Bitna (W)
39	Panipat	Govt. ITI Panipat (W)
40		Govt. ITI Samalkha (W)
41	Rewari	Govt. ITI Kund Manethi
42		Govt. ITI Rewari (W)
43	Rohtak	Govt. ITI Hassangarh
44		Govt. ITI Makrolikalan
45		Govt. ITI Meham
46		Govt. ITI Rohtak (W)
47	Sirsa	Govt. ITI Chautala
48		Govt. ITI Nathusari Chopta
49		Govt. ITI Sirsa (W)
50	Sonipat	Govt. ITI Gannaur
51		Govt. ITI Sonipat (W)
52	YamunaNagar	Govt. ITI Sadhora

ANNEXURE-D

LIST OF DEPRIVED SCHEDULED CASTES

1. Ad Dharmi
2. Balmiki
3. Bangali
4. Barar, Burar, berar
5, Batwal, Barwala
6. Buria, Bawaria
7. Bazigar
8. Bhanjra
9. Chanal
10. Dagi
11, Daram
12.deha, Dhaya' Dhea
1 3. Dhanak
14. Dhogri, Dhangri, Siggi
15. Dumna,Mahasha, Doom
16. Gagra
17. Gandhila, Gandil Gondola
1 8. Kabirpanthi, Julaha
19. Khatik
20. Kori,koli
21, Marija, Marecha
22. Mazhabi, Mazhabi Sikh
23. Megh.Meghwal
24. Nat, Badi
25. od
26. Pasi
2l.Perna
28. Pherera
29. Sanhai
30 Sanhal
31. Sansi, Bhedkut, manesh
32. Sansoj
33. Sapela, Sapera
34. Sarera
35. Siklingar, Bariya
36. Sirkiband

ANNEXURE-E

A) LIST OF BACKWARD CLASSES IN HARYANA STATE- BC-A	
Sr. No.	**Name of Cast**
1	Naik
2	Barra
3	Beta, Hensi or Hesi
4	Bagria
5	Barwar
6	Barai, Tamboli
7	Baragi,Bariragi,Swami Sadh
8	Bettera
9	Bharbhunja, Bharbhuja
10	Bhat, Bhatra, Darpi, Ramiya
11	Bhuhalia, Lohar
12	Changar
13	Chirimar
14	Chang
15	Chimba, Chhipi, Chimpa, Darzi, Rohilla
16	Daiya
17	Dhobi/Dhobi Rajak
18	Dakaut
19	Dhimar, Mallagh, Kashyap-Rajpoot, Kahar, Jhiwar, Dhinwar, Khewat, Mehra, Nishad, sakka, Bhisti, Sheikh-Abbasi
20	Dhosali, Dosali
21	Faquir
22	Gwaria, Gauria or Gwar
23	Ghirath
24	Ghasi, Ghasiara or Ghosi
25	Gorkhas
26	Gawala, Gowala
27	Gadaria, Pal, Baghel
28	Garhi Lohar
29	Hajjam, Nai, Nais
30	Jhangra-Brahman, Khati, Suthar, Dhiman-Brahmin,Tarkhan, Barhai, Baddi
31	Joginath, Jogi, Nath, Jangam, Yogi
32	Kanjar or Kanchan
33	Kurmi
34	Kumhars, Prajapati
35	Kamboj
36	Khangera
37	Kuchband
38	Labana
39	Lakhera, Manihar, Kachera
40	Lohar, Panchal-Brahmin
41	Madari
42	Mochi

43	Mirasi
44	Nar
45	Noongar
46	Nalband
47	Pinja, Penja
48	Rehar, Rehara or Re
49	Raigar
50	Omitted
51	Rechband
52	Shorgir, Shergir
53	Soi
54	Singhikant, Singiwala
55	Sunar, Zargar, Soni
56	Thathera, Tamera
57	Teli
58	Banzara, Banjara
59	Weaver (Jullaha)
60	Badi/Baddon
61	Bhattu/Chattu
62	Mina
63	Rahbari
64	Charan
65	Chaaraj (Mahabrahman)
66	Udasin
67	Ramgarhia
68	Rangrez, Lilgar, Nilgar, Lallari
69	Dawala, Soni-Dawala, Nyaaria
70	Bhar, Rajbhar
71	Nat (Muslim)
72	Sain

B) LIST OF BACKWARD CLASSES IN HARYANA STATE -- BC-B	
Sr. No.	**Name of Cast**
1	Ahir/Yadav
2	Gujjar
3	Lodh/Lodha/Lodhi
4	Saini, Shakya, Koeri, Kushwaha, Maurya
5	Meo
6	Gosai/Gosain/Goswami

At present Raigar, Mochi, Weaver (Jullaha) (BC) and Julaha (SC) and Badi Castes find a mention in the list of both Scheduled Caste and Backward Classes. The Persons belonging to these Castes who do not cover under the Scheduled Caste being Non-Hindu and Non-Sikhs can take the benefit under the Backward Classes only.

Annexure-F

Fee structure in Govt. ITIs

(Amount in Rs.)

Fee Head	Boys				Girls
	Haryana Domicile		Other State		Any State Domicile
	Normal Seat	IMC quota Seat	Normal Seat	IMC quota Seat	Normal Seat OR IMC quota Seat
Security (Refundable)	300	300	300	300	300
Building fund (Non refundable)	120	120	120	120	120
Security fees for Library (Refundable)	25	25	25	25	25
Identity card (one time)	10	10	10	10	10
Student Fund (per month)	30	30	30	30	30
Tuition fees (per month)	15	615	300	900	0
Fee payable					
At the time of admission (including 1st quarter fees)	590	2390	1445	3245	545
Quarterly fee (2nd to 4th / 8th quarter)	135	1935	990	2790	90

Annual Fee Payable at ITIs (in Rs.)

		Refundable Securities	Building Fund	I.D.Card Fee	Tuition Fee (@ 15 per month)	Student Fund (@ 30 per month	Total Annual Fees
Govt. ITIs	Boys	325	120	10	180	360	995
	Girls	325	120	10	0	360	815

* Applicable to Haryana resident candidates admitted against normal seats.

INCOME CERTIFICATE

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (CIVIL) / EXECUTIVE MAGISTRATE

As reported by Tehsildar/Naib Tehsildar, the annual income of Sh. ------------------------------ --------- Father /Husband of Sh./Smt.---Resident of ---------- -- from all sources is Rs. --------------------- (Rupees--)

Place:

Date: Sub Divisional Officer (C) / Executive Magistrate.

NOTICE

FOR ATTENTION OF ADMISSION SEEKERS TO NATIONAL COUNCIL FOR VOCATIONAL TRAINING (NCVT) APPROVED TRADES INGovt. /Privte ITIs.

All admission seekers to NCVT approved various trades (Engineering/Non-Engineering), are advised in their own interest that they should confirm and satisfy themselves before seeking admission to any trade that the trade / unit in the Industrial Training Institute (Govt.) / Industrial Training Institute (Pvt.) {GITIs/PITIs} is affiliated to NCVT. The students of trades / units which are NCVT affiliated on the date of admission are only eligible for appearing in All India Trade Test for the award of National Trade Certificate.

The List of affiliated trades / units is available with respective institutes and respective State Directorates.

It is also informed in the interest of general public that NCVT/Govt. of India do not recognize any GITI / PITI. NCVT affilates only the trades and its units run by a particular GITI/PITI.

Deputy Director General (Training)
Dated:-DGT, Ministry of Labour & Employment,
Govt. of India

संस्थान में रैगिंग करना, धूम्रपान करना व बिना मास्क रहना दंडनीय अपराध है।
संस्थान में प्रशिक्षणरत् सभी छात्र–छात्राएं अपने साथ सेनेटाईजर रखें।

बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

JOIN THE
DUAL SYSTEM OF TRAINING
सक्षम हरियाणा
Industrial Training Institute
58% प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूरा होने से पहले नौकरी मिली
MUNJAL SHOWA
MICRO TURNERS
ESCORTS
Subros
RICO
Hero
YAMAHA
MARUTI SUZUKI
SHAHI
JBM
VICTORA GROUP
HYLINE AUTO
12 महीने का कैलेंडर चित्रण
6 Month ITI
4 Month INDUSTRY
2 Month ITI
प्रशिक्षुओं को Dual system of training (DST) से लाभ
प्लेसमेंट की संभावना बढाइये
ITI प्रशिक्षण के दौरान पैसे कमाएँ*
उद्योग में नवीनतम टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग करें
*चयनित आईटीआई और उद्योग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ग
नियमों और शर्तों के अनुसार
काउंसलिंग के दौरान DST Unit कैसे खोजें?
अपनी पसंद के ITI में उपलब्ध DST unit को देखने के लिए “choice of trade" अनुभाग में “Dual Mode" खोजें
आज ही https://itiharyana.gov.in पे जाएं और अपनी पसंद का DST Trade का चयन करें

हरियाणा राज्य में आई0टी0आई0 पास उम्मीदवारों को अप्रैंटिशिप ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। हरियाणा राज्य में इस कार्यक्रम में भारत सरकार से Champion of Change 2017 Award प्राप्त किया है। इस समय भी हरियाणा राज्य देश भर में प्रथम स्थान पर है।